नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बिहार से प्रसारित

सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 03, अंक 353, नई दिल्ली, शनिवार 21 फरवरी 2026, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

जीवन में वही व्यक्ति दुखी है जो ख़ाली है काम मैं व्यस्त रहो और मस्त रहो।

03 प्रकृति और पुरुष के संयोग को जीव कहते है
06 भारत में स्कूली बच्चों की सुरक्षा -शिक्षा से आगे बढ़कर जीवन...
08 ऑल ओडिशा ठेकेदार महासंघ के बैनर तले राउरकेला टीम का सशक्त प्रदर्शन

मोटर दुर्घटना मामला: मालवाहक वाहन में निःशुल्क यात्री होने पर भी बीमाकर्ता पहले भुगतान कर वसूली कर सकता है : सुप्रीम कोर्ट

संजय कुमार बाठला

सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि यदि किसी मालवाहक वाहन में यात्रा कर रहा व्यक्ति 'निःशुल्क यात्री' माना जाए और बीमा कंपनी प्रत्यक्ष रूप से मुआवजा देने की जिम्मेदार न हो तब भी अदालत बीमाकर्ता को पहले मुआवजा अदा करने और बाद में वाहन स्वामी से राशि वसूलने का निर्देश दे सकती है, बशर्ते वाहन मुख्य रूप से सामान ढोने के लिए किराये पर लिया गया हो और यात्रा केवल सहायक उद्देश्य रही हो।

जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की खंडपीठ ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण का आदेश बहाल किया, जिसमें बीमा कंपनी को पहले मुआवजा जमा करने और बाद में वाहन मालिक से वसूली करने का निर्देश दिया गया।

मामला एक घातक दुर्घटना से जुड़ा था, जिसमें मृतक गणेश विसर्जन के अवसर पर प्रतिमा को नर्मदा नदी त जाने के लिए किराये पर लिए गए एक टेंपो में सवार था। दुर्घटना के समय वाहन का बीमा ओरिएंटल बीमा कंपनी लिमिटेड के पास था।

अदालत ने कहा, "वर्तमान मामले में मृतक गणेश प्रतिमा के साथ टेंपो में यात्रा कर रहा था, जिसे नर्मदा नदी में विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा था। वाहन किराये पर लेने का प्रमुख उद्देश्य यात्रा करना नहीं बल्कि गणेश प्रतिमा को विसर्जन हेतु ले जाना था। वाहन में बैठकर जाना केवल सहायक था। अतः अधिकतम यह कहा जा सकता है कि मृतक अपने सामान (गणेश प्रतिमा) के साथ यात्रा कर रहा एक निःशुल्क यात्री था।₹

11 जनवरी, 2010 को अधिकरण ने दावा करने वालों को 13,23,000 रुपये का मुआवजा प्रदान किया और बीमा कंपनी को राशि जमा कर बाद में वाहन स्वामी से वसूली करने का निर्देश दिया। बीमा कंपनी ने इस आदेश को हाइकोर्ट में चुनौती दी, जहां यह निर्देश निरस्त कर दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट में दावा करने वालों ने तर्क दिया कि भले ही मृतक मालवाहक वाहन में निःशुल्क यात्री था। फिर भी 'पहले भुगतान और बाद में वसूली' का सिद्धांत लागू किया जा सकता है।

बीमा कंपनी ने अमुधावली बनाम एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी मामले का हवाला देते हुए कहा कि यदि वाहन किराये पर लिया गया हो तो बीमाकर्ता को भुगतान के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यों में अंतर बताते हुए कहा कि अमुधावली मामले में वाहन यात्रा के उद्देश्य से किराये पर लिया गया, जबकि वर्तमान मामले में प्रमुख उद्देश्य प्रतिमा का परिवहन था और यात्रा केवल सहायक थी। अदालत ने मनुआरा खातून बनाम राजेश कुमार सिंह मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में बीमा कंपनी को पहले मुआवजा अदा करने और बाद में बीमित से वसूली करने का निर्देश दिया जा सकता है।

इन टिप्पणियों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए हाइकोर्ट का आदेश निरस्त किया और अधिकरण का निर्णय बहाल किया।

सुप्रीम कोर्ट आफ इंडिया और दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश हरित क्षेत्र बढ़ाओ और दिल्ली परिवहन विभाग का कार्य हरे भरे पेड़ हटाओ

दिल्ली की खराब वायु गुणवत्ता सुधारने का प्रभावी उपाय हरित क्षेत्र बढ़ाना: सुप्रीम कोर्ट

संजय कुमार बाठला

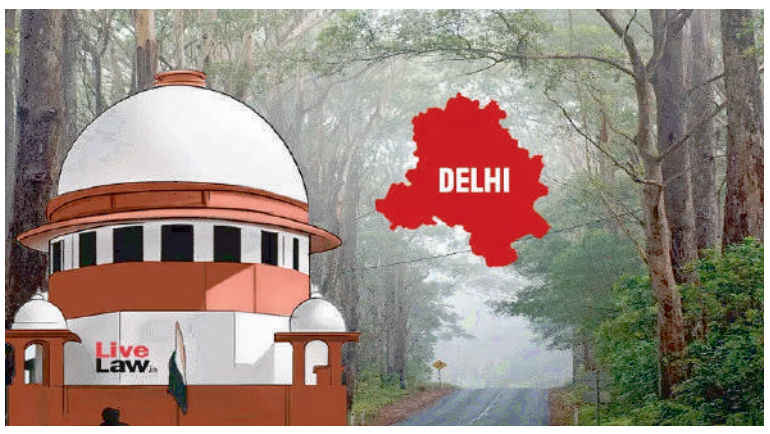

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए पेड़ लगाना और हरित क्षेत्र बढ़ाना एक प्रभावी उपाय है।

अदालत ने यह टिप्पणी उस आदेश के दौरान की, जिसमें दिल्ली के रिज क्षेत्र में पेड़ों की कटाई की भरपाई के लिए चलाए जा रहे वनीकरण कार्यक्रम की निगरानी हेतु विशेषज्ञ समिति के गठन से संबंधित मुद्दे पर सुनवाई की जा रही थी।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष एमिक्स क्यूरी सीनियर एडवोकेट गुरु कृष्ण कुमार ने विशेषज्ञ समिति के एक सदस्य ईश्वर सिंह के स्थान पर नए सदस्य की नियुक्ति का मुद्दा उठाया।

ईश्वर सिंह को हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण का सदस्य नियुक्त किया गया। कुमार ने दो नाम सुझाए, जिनमें से पीठ ने रिटायर्ड भारतीय वन सेवा अधिकारी एम. डी. सिन्हा के नाम को चुना।

सुनवाई के दौरान एमिक्स क्यूरी ने यह भी उल्लेख किया कि जस्टिस ए. एस. ओक की अध्यक्षता वाली पूर्व पीठ ने दिल्ली में हरित क्षेत्र बढ़ाने के संबंध में आदेश पारित किए और अनुरोध किया कि वर्तमान समिति उस कार्यक्रम की भी निगरानी करे।

इस पर चीफ जस्टिस ने सहमति जताते हुए कहा, ₹यह दिल्ली की वायु गुणवत्ता से जुड़ा विषय है। इसमें परस्पर संबंध है। इसका प्रभाव पड़ेगा।"

चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की, ₹जब हम वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रयास कर रहे हैं तब हरित क्षेत्र बढ़ाना सबसे व्यवहारिक, प्रभावी और दीर्घकालिक समाधानों में से एक है।"

अदालत ने संबंधित विषय को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की ताकि वनीकरण और हरित क्षेत्र विस्तार से जुड़े प्रयासों की समुचित निगरानी सुनिश्चित की जा सके।

आपको जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए की

1. दिल्ली में जाम लगवाने,
2. दिल्ली वासियों को निजी वाहनों पर निर्भरता बनाए रखने के लिए,
3. दिल्ली में गैर कानूनी वाहनों के बोलबाले के लिए,
4. दिल्ली में वाहनों के प्रदूषण को बढ़वाने में, और
5. दिल्ली में लगे भरे पूरे हरे भरे पेड़ो को कटवाने में

सबसे बड़ा हाथ और श्रेय दिल्ली परिवहन विभाग का है, जिसके पुख्ता सबूत उपलब्ध हैं और कोई भी व्यक्ति आर. टी. आई. के माध्यम से प्राप्त कर जांच करवा सकता है की पिछले 5 सालों में दिल्ली परिवहन विभाग ने आज्ञा लेकर कितने भरे पूरे हरे भरे पेड़ो को कटवाया।

प्रदूषण मुक्त दिल्ली या प्रदूषण युक्त दिल्ली किस से दिल्ली परिवहन विभाग, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली यातायात पुलिस और दिल्ली सरकार को फायदा, एक सोचनीय सवाल!!!

अनुभवी एवं अप्रशिक्षित पत्रकारों के लिए विशेष आमंत्रण

यदि आप फील्ड में काम कर चुके हैं या करने के इच्छुक है, ज़मीनी पत्रकारिता का अनुभव रखते हैं, या करना चाहते हैं, और सच के साथ खड़े रहने का जज़्बा रखते हैं — तो यह संदेश आपके लिए है।

"परिवहन विशेष" हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में दैनिक प्रकाशित (आर. एन.आई. द्वारा मान्यता प्राप्त)
"परिवहन विशेष एवं न्यूज ट्रांसपोर्ट विशेष यू ट्यूब चैनल"

अपने विस्तार के तहत अनुभवी, इच्छुक और जिम्मेदार पत्रकारों को आमंत्रित करता है।

उपलब्ध दायित्व (अनुभव अनुसार):

* राष्ट्रीय / राज्य / जिला स्तर
* ब्यूरो प्रमुख
* सीनियर रिपोर्टर
* क्राइम रिपोर्टर / क्राइम हेड
* संपादकीय सहयोग

हम क्या देते हैं:

* अनुभव के अनुरूप जिम्मेदारी
* स्वतंत्र डिजिटल न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म
* ख़बरों को प्राथमिकता देने वाला मंच
* सम्मान के साथ कार्य का अवसर

यह अवसर नए एवं अप्रशिक्षित दोनों के लिए है।

संपर्क करते समय भेजें:

* संक्षिप्त पत्रकारिता अनुभव
* मीडिया संस्थान का विवरण
* प्रेस / आधार आईडी

संपर्क:
संजय कुमार बाठला
प्रधान संपादक – परिवहन विशेष
व्हाट्सएप / फोन: 9811732095
ईमेल एड्रेस:- newstransportvishesh@gmail.com

अनुभव और इच्छाशक्ति अगर है, तो मंच मिलना चाहिए।
"परिवहन विशेष" आपके अनुभव और इच्छाओं का सम्मान करता है।

टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत

https://tolwa.com/about.html | tolwaindia@gmail.com, tolwadelhi@gmail.com

आज का साइबर सुरक्षा विचार

पिंकी कुंडू

माननीय आईटी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने AI Impact Summit के दौरान कहाः

"गलत जानकारी समाज के लिए है खतरा" – "Misinformation is a threat to society."

उन्होंने ज़ोर दिया कि डीपफेक और एआई-आधारित भ्रामक सूचनाएँ सामाजिक विश्वास को कमजोर कर रही हैं और इसके लिए वैश्विक सहयोग अत्यंत आवश्यक है।

ग्लोबल शील्ड अगेंस्ट डीपफेक्स एक वैश्विक मानक के रूप में कार्य करेगा।

- भारत ने 30 से अधिक देशों के साथ मिलकर एक संयुक्त ढाँचा तैयार करने की पहल की है, जिसे "सुरक्षा कवच" कहा जा रहा है।

- इस पहल का उद्देश्य डीपफेक, सिंथेटिक मीडिया और एआई के दुरुपयोग से निपटने के लिए साझा तकनीकी और कानूनी समाधान स्थापित करना है।

- प्रस्तावित उपायों में एआई-जनित सामग्री पर अनिवार्य वॉटरमार्किंग और लेबलिंग, साथ ही मज़बूत कॉपीराइट सुरक्षा शामिल हैं।

"सुरक्षा कवच" के उद्देश्य

1. भ्रामक और गलत जानकारी पर रोक

- डीपफेक झूठी कहानियाँ फैला सकते हैं, चुनावों को प्रभावित कर सकते हैं और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा सकते हैं।

- यह कवच प्रामाणिकता सत्यापन उपकरणों और वैश्विक फैक्ट-चेकिंग गठबंधनों को बढ़ावा देगा।

2. डेटा उल्लंघन की रोकथाम

- एआई का दुरुपयोग अक्सर फ़िशिंग, प्रतिरूपण और पहचान चोरी से जुड़ा होता है।

- ट्रेसबिलिटी और वॉटरमार्किंग लागू करके, अपराधियों के लिए सिंथेटिक सामग्री का धोखाधड़ी में उपयोग करना कठिन होगा।

3. सामाजिक विश्वास को मज़बूत करना

- नागरिकों को सत्यापित डिजिटल सामग्री पर भरोसा मिलेगा।

- सरकारें और संस्थाएँ सीमाओं के पार मानकीकृत डिटेक्शन मैकेनिज़्म पर निर्भर कर सकेंगी।

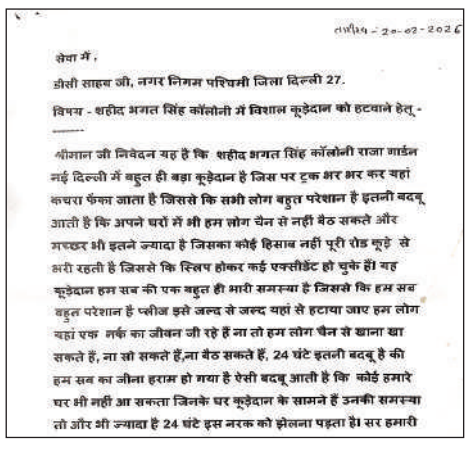

"सुरक्षा कवच" कैसे मदद करेगा?

1. गलत जानकारी – वैश्विक वॉटरमार्किंग, लेबलिंग और नकली सामग्री की त्वरित पहचान

2. डेटा उल्लंघन जोखिम – सिंथेटिक मीडिया द्वारा प्रतिरूपण हमलों की रोकथाम

3. भ्रामक अभियान – सीमा-पार कानूनी ढाँचे, समन्वित कार्रवाई, जन-जागरूकता, शैक्षिक कार्यक्रम और कंटेंट क्रिएटर लैब्स द्वारा लचीलापन निर्माण

निष्कर्ष

30 देशों का "सुरक्षा कवच" वैश्विक साइबर सहयोग में एक ऐतिहासिक कदम है। तकनीकी सुरक्षा उपायों, कानूनी सामंजस्य और जन-जागरूकता को मिलाकर यह पहल डीपफेक, गलत जानकारी और डेटा शोषण के बढ़ते खतरे को रोकने में मदद करेगी। माननीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में भारत एक विश्वसनीय डिजिटल भविष्य के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

शहीद भगत सिंह कॉलोनी: कूड़ेदान हटाने का वादा, मशीन लगाने की साजिश

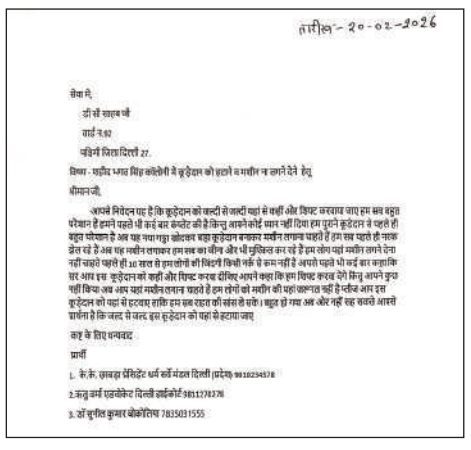

परिवहन विशेष न्यूज

रिहायशी इलाके के निवासियों से नगर निगम का धोखा मादीपुर वार्ड 92 की शहीद भगत सिंह कॉलोनी के निवासी पिछले 10 वर्षों से कूड़ेदान की बदबू और असुविधा से जूझ रहे हैं।

पार्षद और नगर निगम अधिकारियों ने कूड़ेदान हटाने का वादा किया, लेकिन अब उसी स्थान पर कूड़े से खाद बनाने की मशीन लगाने का टेंडर जारी कर दिया। इससे क्षेत्रवासियों में आक्रोश फैल गया और वे धरना-प्रदर्शन के लिए मजबूर हो गए।

बीते कल ठेकेदार व अधिकारी विरोध देखकर भाग खड़े हुए, लेकिन निवासियों का डर व गुस्सा कम नहीं हुआ।

डीसी पश्चिम को सौंपा मांग-पत्र: तत्काल कार्रवाई की मांग आज सुबह क्षेत्रवासियों ने हस्ताक्षरित मांग-पत्र डीसी पश्चिम को जमा कराया। पत्र में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि पुराने कूड़ेदान से पहले ही नर्क जैसी जिंदगी चल रही है, अब रिहायशी इलाके में गड्ढा खोदकर मशीन लगाना असहनीय है। निवासियों ने चेतावनी दी कि वे मशीन लगने नहीं देंगे।

मुख्य बिंदु जो पत्र में उजागर हुए:

1. कूड़ेदान हटाने के पुराने वादे पूरे न होने से निवासी पहले ही परेशान।
2. रिहायशी क्षेत्र में खाद-मशीन लगाना स्वास्थ्य व पर्यावरण के लिए खतरा।
3. कई शिकायतों के बावजूद नगर निगम की अनदेखी।

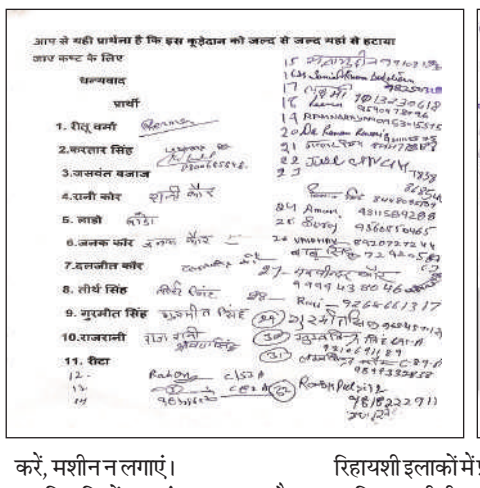

मांग: कूड़ेदान को तत्काल शिफ्ट करें, मशीन न लगाएं।

निवासियों का संकल्पः अब और सहन नहीं करेंगे, कार्रवाई न हुई तो आंदोलन तेज।

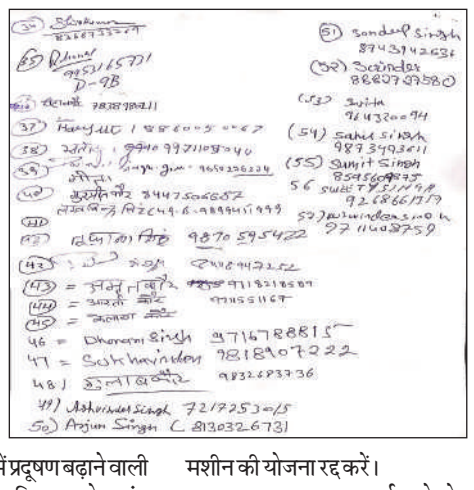

प्रशासन की जवाबदेहीः जनहित में जागें अधिकारी नगर निगम का यह कृत्य न केवल वादाखिलाफी है, बल्कि रिहायशी इलाकों में प्रदूषण बढ़ाने वाली साजिश। डीसी पश्चिम को तुरंत हस्तक्षेप कर कूड़ेदान शिफ्ट कराना चाहिए, वरना निवासियों का आंदोलन पूरे दिल्ली के लिए मिसाल बनेगा।

जनहित में नगर निगम पार्षद व अधिकारियों से मांग — वादे पूरे करें, मशीन की योजना रद्द करें।

प्रमुख हस्ताक्षरकर्ताः के.के. छाबड़ा, प्रेसिडेंट, धर्म सर्वे मंडल दिल्ली (प्रदेश) - 9910234578, ऋतु वर्मा, एडवोकेट, दिल्ली हाईकोर्ट - 9811270278, डॉ. सुनील कुमार बोकोलिया - 7835031555

स्वास्थ्य विशेष

स्वास्थ्य आपका कोशिश हमारी

पिंकी कुंडू

ऊर्जा में कमी महसूस हो रही है, केला और पीनट बटर अपनाएँ

अगर आपको –
*शरीर में हल्की सुस्ती
*जल्दी थकान
*स्टैमिना कम महसूस होना
*काम के दौरान ऊर्जा गिरना
तो 1 छोटा केला और थोड़ा सा पीनट बटर मददगार हो सकता है
सेवन विधिः 1 छोटा केला ले, उस पर 1 चम्मच पीनट बटर लगाकर खाएँ। जरूरत हो तो इसे वर्कआउट या किसी एक्टिविटी से 30 – 45 मिनट पहले लें। दिन में 1 बार पर्याप्त है
संभावित फायदेः
*केला देता है प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट
*पीनट बटर से मिलते हैं हेल्दी फैट और प्रोटीन
*तुरंत और स्थिर ऊर्जा देने में सहायक
*मांसपेशियों को सपोर्ट
*भूख को संतुलित रखने में मदद
यह कॉम्बिनेशन क्यों फायदेमंद माना जाता है?
*केले में पोटैशियम और नैचुरल शुगर होती है,
*पीनट बटर में प्रोटीन और हेल्दी फैट होते हैं।
दोनों मिलकर शरीर को तुरंत ऊर्जा और थोड़ी देर तक स्थिर एनर्जी देने में सहायक माने जाते हैं।
ज़रूरी सावधानियाँ:
*मात्रा अधिक न लें (कैलोरी ज्यादा होती है)
*डायबिटीज़ वाले लोग मात्रा नियंत्रित रखें
*पीनट एलर्जी हो तो सेवन न करें
*यह स्वास्थ्य सुझाव है, इलाज का विकल्प नहीं
संतुलित आहार और नियमित व्यायाम के साथ यह आसान स्नैक शरीर को एक्टिव और ऊर्जावान रखने में मदद कर सकता है।

'आत्म-साक्षात्कार' और 'सूक्ष्म शरीर'

पिंकी कुंडू

अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए मन में पहले से बसी भ्रांतियों को विसर्जित करना अनिवार्य है। जब तक आपकी चेतना पुराने तर्कों और अधूरे ज्ञान में उलझी रहेगी, वह नए और वास्तविक सत्य को धारण नहीं कर पाएगी।
एक बार जब चेतना को सही दिशा प्राप्त हो जाती है, तो वह 'शून्य' से 'महाशून्य' का सफर इतनी तेजी से तय करती है, जैसे ढलान पर पानी बिना रुके निरंतर बहता चला जाता है।
सृष्टि और शरीर का निर्माण आत्मा अपने निवास के लिए पंचतत्वों से निर्मित शरीर का निर्माण स्वयं करती है। यह प्रक्रिया 'वीर्य' और 'रज' के माध्यम से पूर्ण होती है। साधारण मनुष्य यहीं भ्रमित हो जाता है कि यदि यह भौतिक प्रक्रिया है, तो ईश्वर कहाँ है?
सत्य यह है कि आत्मीय तेज से ही वीर्य और रज निर्मित होते हैं। आध्यात्मिक शब्दावली में:
*वीर्यः ब्रह्मा और शिव का प्रतीक है।
*रजः महामाया, योगमाया और आदि शक्ति जगदम्बा का स्वरूप है।
*आत्माः सृजनकर्ता और साक्षी
आत्मा पहले स्वयं के लिए शरीर और इंद्रियों का निर्माण करती है। निर्माण पूर्ण होने के पश्चात, वह स्वयं उस शरीर में प्रवेश कर 'प्राण' का संचार करती है।
इसे इस प्रकार समझा जा सकता हैः जिस प्रकार ब्रह्मा ब्रह्मांड की रचना कर उससे मुक्त (निर्लिप्त) रहते हैं, ठीक उसी प्रकार आत्मा पंचतत्वों के शरीर का निर्माण तो करती है, परंतु स्वयं उन तत्वों से अलग रहकर उस शरीर में विश्राम करती है।
अहं ब्रह्मास्मिः आत्मा ही ब्रह्मा है, अर्थात ₹मैं ही ब्रह्मा हूँ।₹
कुंडलिनीः चेतना का विद्युत तंत्र तत्वों से बने इस शरीर के भीतर, आत्मा स्वयं 'तत्व-रहित' होकर स्थिर अवस्था में रहती है।
शरीर को संचालित करने और उसे मुक्त करने के लिए आत्मा ने एक विशेष विद्युत तंत्र का निर्माण किया है, जिसे 'कुंडलिनी' कहा जाता है। यही वह विद्युतीय ऊर्जा है जो चेतना को पंचतत्वों के बंधन से मुक्त करने में सहायक होती है
बिना कुंडलिनी की पूर्ण जागृति के 'आत्म-साक्षात्कार' और 'सूक्ष्म शरीर' द्वारा सूक्ष्म लोकों का भ्रमण कदापि संभव नहीं है।

"शरीर में सूजन और जोड़ों में अकड़न? 'शीशम के पत्ते' दर्द खींच लेंगे

पिंकी कुंडू

वैज्ञानिक कारणः- शीशम के पत्तों में दर्द निवारक और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। यह शरीर के अंदरूनी ऊतकों की सूजन को कम करता है और जोड़ों के बीच घर्षण घटाता है, जिससे मूवमेंट आसान होती है
आयुर्वेदिक कारणः-
* शीशम 'शीतल' (ठंडा) और 'कषाय' (कसैला) है
* यह हड्डियों की जलन और दर्द को शांत करता है,
*यह रक्त-शोधक भी है जो दूषित खून की वजह से होने वाले दर्दों को ठीक करता है
फायदे
* सूजन कमः घुटनों और एड़ियों की सूजन घटेगी
* अकड़नः सुबह उठकर शरीर जाम नहीं लगेगा
*जलनः यूरिन की जलन में भी फायदा
प्रयोग करने की विधिः
1. 4-5 शीशम के साफ पत्ते लें
2. 1 कप पानी में उबालकर काढ़ा बनाएं (आधा रह जाए)
3. छानकर पिएं
नुकसानः-
* शीशम ठंडा होता है, अगर सर्दी-जुकाम है तो न पिएं
* अस्थमा वाले मरीज इसे अवॉयड करें।

बीजबंद — मर्दाना ताक़त का पारंपरिक सपोर्ट

पिंकी कुंडू

1. मर्दाना ऊर्जा एवम्-स्टैमिनाः शरीर की ताक़त, एनर्जी और सहनशक्ति को सपोर्ट करने के लिए पारंपरिक रूप से इस्तेमाल।
2. मर्दाना सेहत सपोर्टः लो लिबिडो और कमजोरी में पारंपरिक हर्बल सपोर्ट।
3. स्टैमिना कंट्रोलः समय से पहले थकान और कमजोरी में मददगार माना जाता है।
4. मांसपेशी और नसों की मजबूतीः शरीर को अंदर से मज़बूत करने में सहायक।
5. दर्द और सूजन राहतः जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द में पारंपरिक उपयोग।
6. सांस की सेहतः खांसी और सांस से जुड़ी परेशानियों में सहायक।
यह केवल स्वास्थ्य जागरूकता हेतु सूचना है। चिकित्सा सलाह या इलाज का दावा नहीं है। किसी भी निर्णय से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।

किडनी स्टोन की परेशानी है तो अपनाइए कुल्थी दाल का पानी — पुराना आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खा

पिंकी कुंडू

अगर 1. बार-बार पेशाब में जलन रहती है
2. कमर या पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है
3. पथरी की शिकायत बार-बार होती है
4. पेशाब रुक-रुक कर आता है
तो कुल्थी दाल का पानी पुराने समय से किडनी को साफ रखने में सहायक माना जाता है।
कुल्थी दाल क्यों फायदेमंद मानी जाती है?
1. मूत्रवर्धक गुण – पेशाब को साफ़ करने में मदद
2. किडनी की गंदगी बाहर निकालने में सहायक
3. पथरी को धीरे-धीरे घुलने में सपोर्ट
4. सूजन और जलन कम करने में मदद
*** संभावित फायदे**
1. पेशाब के रास्ते साफ रखने में सहायक
2. किडनी स्टोन की समस्या में सपोर्ट
3. पथरी के छोटे कण बाहर निकालने में मदद
4. पेशाब की जलन और रुकावट में राहत
5. किडनी की कार्यक्षमता को सपोर्ट
*** बनाने और पीने की विधि**
*1–2 चम्मच कुल्थी दाल
*1 गिलास पानी में रातभर भिगो दें
*सुबह उसी पानी को उबाल लें
*छानकर गुनगुना पानी पिएँ
* चाहें तो भीगी दाल को उबालकर उसका पानी भी पी सकते हैं
*कब लें
*सुबह खाली पेट
*दिन में 1 बार पर्याप्त
*** सावधानियाँ**
* अधिक मात्रा में न लें
* बहुत ज़्यादा पथरी या तेज दर्द में डॉक्टर से सलाह ज़रूरी
* गर्भवती महिलाएँ सेवन से पहले सलाह लें
* यह घरेलू उपाय है, मेडिकल इलाज का विकल्प नहीं
*बेहतर असर के लिए
*दिनभर पर्याप्त पानी पिएँ
*ज्यादा नमक और जंक फूड से बचें
*डॉक्टर द्वारा बताई दवाएँ बंद न करें
*नियमित जांच कराते रहें
पुराना देसी नुस्खा – किडनी की सफ़ाई और पथरी में सहायक

वस्त्र केवल फैशन का साधन नहीं, बल्कि स्वास्थ्य से जुड़ा उत्पाद

एक महत्वपूर्ण घटना और उससे मिलने वाली सीख कुछ वर्ष पूर्व भारत की एक प्रतिष्ठित वस्त्र निर्माण कंपनी ने कपड़ों का एक बड़ा खेप जर्मनी निर्यात किया था। यूरोप के मानक नियमों के अनुसार जर्मन अधिकारियों ने उस खेप से नमूने लेकर उनकी जाँच की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे मानव स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित हैं।
जाँच के परिणाम चौंकाने वाले थे। उन नमूनों में ऐसे रासायनिक तत्व पाए गए जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने गए। परिणामस्वरूप पूरी खेप को अस्वीकार कर भारत वापस भेज दिया गया था।
सबसे चिंताजनक बात यह रही कि वही कपड़े, जिन्हें जर्मनी में मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त घोषित किया गया था, भारत के बाजारों में बिना किसी प्रश्न या आपत्ति के आसानी से बेच दिए गए।
यह घटना केवल व्यापारिक नियमों का विषय नहीं है, बल्कि यह उपभोक्ता जागरूकता, स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों और नैतिक जिम्मेदारी पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है।
इस घटना से हमें क्या सीख मिलती है?
1. मानक हर देश में समान नहीं होते
यूरोपीय संघ और विशेष रूप से जर्मनी में वस्त्रों के लिए अत्यंत कठोर सुरक्षा मानक लागू हैं। वहाँ निम्नलिखित तत्वों की जाँच की जाती है—
* रासायनिक अवशेष (जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, भारी धातुएँ, एज़ो डाई)
*एलर्जी उत्पन्न करने वाले तत्व
*कैंसर उत्पन्न करने वाले पदार्थ
* पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाले रसायन
इन जाँचों का उद्देश्य केवल नियम पालन नहीं, बल्कि दीर्घकालिक स्वास्थ्य सुरक्षा है — विशेषकर बच्चों और गर्भवती महिलाओं जैसे संवेदनशील वर्गों के लिए।
भारत में भी मानक मौजूद हैं, जैसे भारतीय मानक ब्यूरो (BIS), परंतु व्यवहार में उनका पालन और निगरानी कई बार कमजोर या असंगत रही है।
स्वस्थ वस्त्र क्यों आवश्यक हैं? हम प्रायः

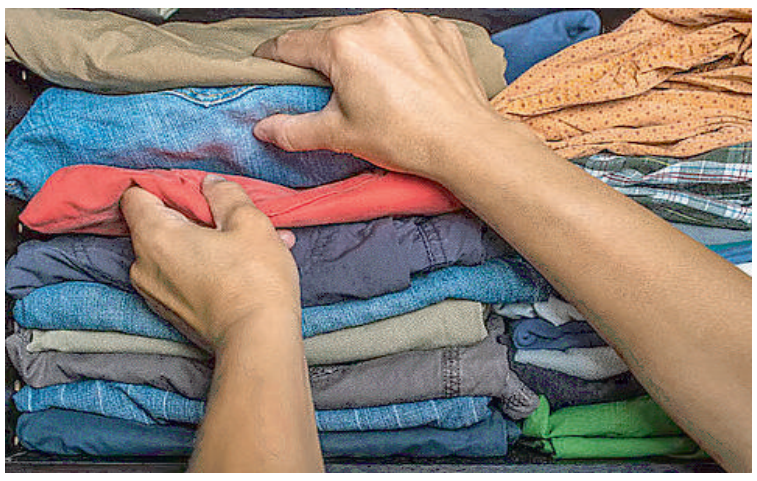

स्वस्थ भोजन के महत्व को समझते हैं, परंतु स्वस्थ वस्त्रों के विषय में कम सोचते हैं। जबकि वस्त्र हमारी त्वचा के सीधे संपर्क में रहते हैं, और त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है।
वास्तविकता यह है कि — कपड़ों में उपस्थित हानिकारक रसायन त्वचा पर चकत्ते, एलर्जी, श्वसन संबंधी समस्याएँ और दीर्घकाल में गंभीर रोग, यहाँ तक कि कैंसर का कारण भी बन सकते हैं।
* कृत्रिम रंग और रासायनिक फिनिशिंग (finishing) पदार्थत्वचा के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर सकते हैं।
*जलरोधी (waterproof) या शिकन-रोधी (anti-wrinkle) प्रक्रियाओं में प्रयुक्त असुरक्षित रसायन वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOCs) छोड़ सकते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं।
अतः वस्त्रकेवल फैशन का साधन नहीं, बल्कि स्वास्थ्य से जुड़ा उत्पाद भी हैं।
विश्व स्तर पर बढ़ती जागरूकता आज विश्वभर में सुरक्षित और टिकाऊ (sustainable) वस्त्रों की ओर तेजी से झुकाव देखा जा रहा है।
OEKO-TEX® प्रमाणन यह एक अंतरराष्ट्रीय मानक है जो वस्त्रों में हानिकारक पदार्थों की जाँच करता है और सुनिश्चित करता है कि वे त्वचा के लिए सुरक्षित हों।
यूरोपीय REACH नियम यूरोप में हजारों रसायनों पर प्रतिबंध या नियंत्रण है, जिससे उपभोक्ता उत्पाद अधिक सुरक्षित बनते हैं।
GOTS (Global Organic Textile Standard) यह प्रमाणन सुनिश्चित करता है कि कपास और अन्य रेशे जैविक रूप से उगाए और संसाधित किए गए हों, बिना विषैले रसायनों के।
उपभोक्ताओं की बदलती सोच आज के जागरूक ग्राहक निम्नलिखित बातों पर ध्यान देते हैं—
1. ऑर्गेनिक कॉटन
2. प्राकृतिक रंग
3. विषरहित फिनिशिंग
4. पारदर्शी आपूर्ति श्रृंखला
अब ब्रांड केवल फैशन नहीं बेचते, बल्कि स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा का वादा भी करते हैं।
भारत को क्या सीख लेनी चाहिए? इस घटना से स्पष्ट होता है कि - उपभोक्ता जागरूकता की कमी
ज्यादातर भारतीयों को जानकारी ही नहीं कि: कपड़ों में भी हानिकारक रसायन हो सकते हैं।
सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। प्रमाणन (certification) का महत्व क्या है।
*नियामक प्रवर्तन की आवश्यकता मानक होने के बावजूद उनका कठोर पालन और निरीक्षण आवश्यक है।
* शिक्षा और संवेदनशीलता हमें जागरूक करना होगा —
* उपभोक्ताओं को — सुरक्षित वस्त्र चुनने के लिए
* निर्माताओं को — अंतरराष्ट्रीय मानकों को अपनाने के लिए
* सरकार को — नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए
भविष्य की दिशा आधुनिक युग में वस्त्र सुरक्षा एक विकल्प नहीं, बल्कि आवश्यकता बनती जा रही है —
1. कई देश हानिकारक रसायनों को स्पष्ट रूप से चिन्हित करते हैं।
2. लोग त्वचा - अनुकूल और पर्यावरण - अनुकूल वस्त्र चुन रहे हैं।
3. बड़ी कंपनियाँ स्वास्थ्य - केंद्रित प्रमाणन अपना रही हैं।
4. तकनीक के माध्यम से खेत से लेकर फैक्ट्री तक पूरी प्रक्रिया का पता लगाया जा सकता है।
निष्कर्ष यह घटना हमें एक गहरी सीख देती है—
जैसे स्वस्थ भोजन आवश्यक है, वैसे ही स्वस्थ वस्त्र भी आवश्यक हैं।
स्वास्थ्य - सचेत जीवन केवल हमारे भोजन तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उन सभी वस्तुओं तक विस्तारित होना चाहिए जो हमारे शरीर के संपर्क में आती हैं।
हमें सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा —
1. जन जागरूकता बढ़ाने के लिए
2. सख्त नियम और उनका पालन सुनिश्चित करने के लिए
3. अंतरराष्ट्रीय मानकों को अपनाने के लिए
4. जिम्मेदार उत्पादन और सजग उपभोग को बढ़ावा देने के लिए
तभी हम यह सुनिश्चित कर पाएँगे कि स्वास्थ्य और कल्याण हमारे दैनिक जीवन के प्रत्येक उत्पाद का अभिन्न अंग बनें।

प्रकृति और पुरुष के संयोग को जीव कहते है

पिंकी कुंडू

पुरुष है शुद्ध चैतन्य तत्त्व, और प्रकृति है तेईस तत्त्वों का समुच्चय — जिनमें दस केवल मर्त्यलोक में ही जीव के साथ रहते हैं किन्तु मृत्यु के बाद साथ नहीं जाते — वे हैं पाँच महाभूत और उनकी पाँच तन्मात्राएँ (उनके गुण) जो इन्द्रियों के विषय हैं |

जीव के साथ सदैव रहने वाले प्रकृति के तेरह तत्त्व हैं — तीन अन्तःकरण और दस बाह्य-करण | अन्तःकरण हैं बुद्धि या सत्त्व, अहंकार, और मन | बाह्य करण हैं पाँच कर्मेन्द्रिय और पाँच ज्ञानेन्द्रिय | ज्ञानेन्द्रिय द्वारा बाह्य भौतिक विश्व का संज्ञान प्राप्त होता है जो इन्द्रियों का "भोग" है | कर्मेन्द्रियों द्वारा कर्म किये जाते हैं ताकि इच्छानुसार भोग प्राप्त हों | इन दस इन्द्रियों में ही इच्छाओं का वास होता है | ये इन्द्रियाँ भौतिक नहीं है, सूक्ष्म तत्त्व हैं |

दस इन्द्रियों और मन के अधिष्ठाता देवता हैं ग्यारह रूद्र | जब कामनाओं का संहार हो जाता है तो ग्यारह रूद्र मिलकर एक शिव बन जाते हैं और मन में सभी इन्द्रियों का विलय हो जाता है, तब बिना इन्द्रियों के ही मन दस दिशाओं और तीन कालों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है — इसी को ज्ञानचक्षु कहते हैं — शिव की तीसरी आँख | ज्ञानचक्षु कामनाओं और उनके वास रूपी विश्व का संहार करता है |

बाह्य भौतिक विश्व का संहार नहीं होता, जीव के लिए जिस कामरूपी विश्व का अस्तित्व है उसके प्रति आसक्ति का संहार होता है | पूरे भौतिक विश्व का संहार तो केवल महाप्रलय में ही होता है जब ब्रह्मा जी एक कल्प की निद्रा में चले जाते हैं | जब उनकी निद्रा टूटती है तो 47400 दिव्य वर्ष (एक दिव्य वर्ष = 360 मानव वर्ष) लगते हैं उनको पिछले कल्प का धीरे-धीरे स्मरण करने में, और जैसे जैसे उनकी कल्पना में पूर्वकल्प आ जाता है वैसे वैसे भौतिक सृष्टि बनती जाती है —

"धाता यथा पूर्वं अकल्पयत्" (अघमर्षण सूक्त, ऋग्वेद)|

प्रकृति तीन गुणों वाली है — सत, रज और तम | तीनों गुणों में वैषम्य होता है तो प्रकृति तेईस तत्त्वों के रूप में व्यक्त होती है | तीनों गुणों में साम्य होता है तो प्रकृति के सभी तेईस गुणों का विलय हो जाता है और प्रकृति अपने मूल अव्यक्त स्वरुप में अवस्थित हो जाती है | प्रत्येक जीव के लिए प्रकृति इसी प्रकार से अलग-अलग व्यक्त होती है और मोक्ष मिलने पर अव्यक्त हो जाती है | प्रकृति के चौबीस तत्त्वों में से तेईस व्यक्त होते हैं | गायत्री छन्द में चौबीस अक्षर होते हैं, किन्तु गायत्री मन्त्र में केवल तेईस अक्षर ही व्यक्त होते हैं |

प्रकृति जड़ है | जड़ का अर्थ है जो पदार्थ जिस अवस्था में है उसी में रहना चाहती है, स्वतः कोई परिवर्तन नहीं कर सकती, जब तक बाह्य बल न लगे | उस बाह्य बल का प्रदाता है चैतन्यता जो पुरुष या आत्मा है | प्रकृति के सभी तत्त्व अपने

स्वभाव को बदलना नहीं चाहते, मोक्ष में बाधक हैं | प्रकृति की अधिष्ठात्री है आदि-शक्ति जो जड़ नहीं है, अतः पुरुष की ही शक्ति है, दोनों अभिन्न हैं, यही अद्वैत है |

इन तेरह तत्त्वों (करणों) के समुच्चय को कारण-शरीर कहते हैं | यह जीव के जन्म और मरण का कारण है | इन सभी तेरह तत्त्वों के तीन प्रभेद होते हैं — सत, रज और तम |जीव की चार अवस्थाएं होतीं हैं — जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्त और तूरीय |

जब जीव इन्द्रियों द्वारा अनुभूत बाह्य विश्व के प्रति चेतन रहता है और उन बाहरी पदार्थों का संज्ञान लेकर उनको इन्द्रियों द्वारा भोगने का क्षणिक आनन्द लेता है तब जीव जाग्रत कहलाता है |

जब इन्द्रियाँ सो जाएँ और मन सक्रीय रहे तब स्वप्न की अवस्था होती है | स्वप्न का अर्थ है सु-अप्न, अर्थात "अच्छे प्राप्ति" | स्वप्न में जाग्रत से भी बेहतर ज्ञान की प्राप्ति होती है और कठिन समस्याओं का समाधान मिलता है | किन्तु इसके लिए जीव को सात्विक संस्कार अर्जित करने पड़ते हैं | स्वप्न में समस्याओं का हल पाने के लिए कुछ विशिष्ट वैदिक विधियां होती हैं | इच्छाओं का वेग प्रबल हों तो स्वप्न में उनको कल्पना द्वारा जीव प्राप्त करने का प्रयास करता है | उस समय जीव भूल जाता है कि स्वप्न काल्पनिक है | स्वप्न में जीव के ज्ञान का जो मूर्खतापूर्ण स्तर होता है वही उसकी असली IQ (बुद्धि-लब्धि) है जो मरने के बाद भी साथ जाती है — सारा किताबी ज्ञान धरा रह जाता है और सारी सांसारिक उपाधियाँ वैतरणी में बह जातीं हैं | संसार के वासनामय प्रवाह के विपरीत तरने को वैतरणी तरना कहते हैं |

सुषुप्ति का अर्थ है अच्छी निद्रा जब मन भी सो जाए | मन उस तत्त्व का नाम है जो संकल्प ले | मनुष्य की वास्तविक पहचान मन से ही है | व्यक्ति कैसा है यह उसके संकल्पों की गुणवत्ता पर निर्भर करता है |

जीव अपनी क्या पहचान मानता है उसे अहंकार कहते हैं | अहंकार ही आत्मतत्त्व पर परदे का कार्य करता है | संसार से सकाम सम्पर्क अहंकार बढ़ाता है |

शास्त्र के अनुकूल प्रेरणा देने वाले तत्त्व को बुद्धि कहते हैं | जिस युग में दुर्बुद्धि की ही महत्ता हो उसे कलियुग कहते हैं | बुद्धि को पूर्ण स्वच्छ करने वाले मन्त्र का नाम है गायत्री | इसे वेदमाता भी कहते हैं क्योंकि यह वास्तविक ज्ञान उत्पन्न करती है | गायत्री मन्त्र की दीक्षा केवल उसी को दी जा सकती है जिसने शारीरिक ब्रह्मचर्य कम से कम एक वर्ष तक पक्का कर लिया हो और सांसारिक कामनाओं से बहुत हद तक विरक्त हो चुका हो | अनधिकारी को गायत्री मन्त्र की दीक्षा देने से गुरु और शिष्य दोनों का पुण्य नष्ट होता है |

सभी वेदमन्त्रों की तरह गायत्री के भी दक्षिणमार्गी और वाममार्गी पाठ होते हैं | दक्षिणमार्गी या सीधे पाठ से मन्त्र के व्याकरणिक अर्थ की सिद्धि अर्थात प्राप्ति होती है | वाममार्गी पाठ से सांसारिक दिव्य सिद्धियों की प्राप्ति होती है, जैसे कि दिव्यास्त्र, दिव्य औषधियां, दिव्य विमान, देवताओं से सन्तान की प्राप्ति, भूख-प्यास पर नियन्त्रण, हवा में उड़ना,आदि |

सुषुप्ति में मन सोया रहता है और जीव निद्रा का भ्रम पालकर ब्रह्मलोक में स्थित रहता है जहाँ से नयी ऊर्जा लेकर अगले दिन की उछल-कूद का सामर्थ्य प्राप्त करता है | निद्रा भ्रम है क्योंकि आत्मा तो चैतन्यता है, कभी सो ही नहीं सकती, भले ही अपने इस गुण से अनजान हो और चित्त पर वृत्तियों के अभाव को देखकर कुछ नहीं होने का भ्रम पाले | जब जीव को निद्रा में भी अपना होश रहता है तो उसे योगनिद्रा कहते हैं — मन सोया रहता है किन्तु जीव पूरे होश में रहता है | इसे तुरीय अर्थात चौथी अवस्था कहते हैं |

इसके दो भेद हैं — अमौन या सम्प्रज्ञात और मौन या असम्प्रज्ञात | जब मन पूरा शुद्ध हो तो उसे सोने की आवश्यकता नहीं पड़ती और वह ज्ञानचक्षु द्वारा जहाँ की और जब की चाहे वहाँ का ज्ञान प्राप्त कर सकता है | यह समाधि की निचली अवस्था है, असल में समाधि है ही नहीं | शब्दों में चिंतन चलता है, अतः अमौन है (-याज्ञवल्क्य), प्रज्ञा कार्य करती है अतः सम्प्रज्ञात है (-पतंजलि) |

असली समाधि में शब्दों का अस्तित्व नहीं रहता क्योंकि शब्द काल से बंधे होते हैं, वर्णन के क्रम में काल लगता है और जहाँ काल है वहाँ नश्वरता और परिवर्तन है, असत्य है | अतः यह मौन है, असम्प्रज्ञात है — जब प्रज्ञा कार्य नहीं करती | ज्ञान पाने वाले और ज्ञान की वस्तु में भेद नहीं रहता, अतः प्रज्ञा का क्या प्रयोजन ? सर्वत्र केवल एक ही अद्वैत चैतन्य तत्त्व का अस्तित्व रहता है, जिससे भिन्न हर अवस्था व्याधि है | केवल कैवल्य ही सत्य है |

ज्ञान इतना सस्ता नहीं है — ज्ञान सोते समय भी रहे , क्योंकि सोते समय जो ज्ञान का स्तर है वही असली स्तर है | स्वप्न की जाँच से पता चलेगा कि आप किस कोटि के हैं |देश और काल के अनुसार एक ही व्यक्ति को भी साधना की पद्धति बदलनी पड़ती है | केवल लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए | मनुष्य के लिए श्रेष्ठतम लक्ष्य है अधिकाधिक चैतन्य बनना — चाहे जैसे भी हो|

मनुष्य और प्रकृति का संबंध

पिंकी कुंडू

प्रकृति अनंत रूपों में हमारे सामने उपस्थित होती है कभी शांत और सौम्य, तो कभी प्रचंड और उग्र। कभी वह वसंत की तरह कोमल रंगों में सजी दिखाई देती है, तो कभी वर्षा की गर्जन - तर्जन में अपनी शक्ति का परिचय देती है।

वास्तव में प्रकृति का प्रत्येक रूप, प्रत्येक परिवर्तन और प्रत्येक संकेत हमें कुछ न कुछ सिखाने और समझाने का प्रयास करता है। परंतु आधुनिक जीवन की भागदौड़ में हम इतने व्यस्त हो चुके हैं कि न तो हम उसके संकेतों पर ध्यान देते हैं और न ही उसके संदेश को समझने का प्रयास करते हैं।

1. ऋतुओं का परिवर्तनः जीवन के चक्र का संदेश प्रकृति का सबसे स्पष्ट और सुंदर रूप है ऋतुओं का परिवर्तन। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत हर ऋतु अपने साथ अलग वातावरण, अलग अनुभव और अलग सीख लेकर आती है।

* वसंत हमें नवजीवन और आशा का संदेश देता है। पेड़ों पर नई कोपलें फूटती हैं, फूल खिलते हैं, और वातावरण में ताजगी भर जाती है। यह हमें सिखाता है कि कठिन समय के बाद भी जीवन में नई शुरुआत संभव है।

* ग्रीष्म ऋतु अपनी तीव्रता से हमें सहनशीलता का पाठ पढ़ाती है। तपती धूप और गर्म हवाएँ यह याद दिलाती हैं कि जीवन में कठिनाइयाँ आएँगी, पर धैर्य और संयम से हम उन्हें सह सकते हैं।

* वर्षा ऋतु धरती की प्यास बुझाकर यह संदेश देती है कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। पानी के बिना जीवन संभव नहीं, परंतु अत्यधिक वर्षा बाढ़ का रूप भी ले सकती है। इससे हमें समझ आता है कि हर चीज की एक सीमा और संतुलन होना चाहिए।

* इस प्रकार ऋतुओं का चक्र हमें परिवर्तन को स्वीकार करने, धैर्य रखने और संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है।

2. पर्वत, नदी और सागरः स्थिरता, प्रवाह और गहराई का प्रतीक प्रकृति के स्थायी रूप पर्वत, नदियाँ और सागर भी हमें गहरे संदेश देते हैं।

* पर्वत अपनी अडिगता और ऊँचाई से हमें दृढ़ता और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाते हैं। तेज हवाएँ, वर्षा और बर्फबारी के बावजूद वे अपने स्थान पर अटल खड़े रहते हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन की विपरीत परिस्थितियों में भी हमें अपने सिद्धांतों पर स्थिर रहना चाहिए।

* नदी निरंतर बहती रहती है। रास्ते में चट्टानें आती हैं, मोड़ आते हैं, पर वह रुकती नहीं। वह अपना मार्ग स्वयं बना लेती है। नदी हमें सिखाती है कि जीवन में बाधाएँ आएँगी, पर हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठहराव जीवन नहीं, प्रवाह ही जीवन है।

* सागर अपनी गहराई और विशालता से हमें विनम्रता और सहनशीलता का संदेश देता है। वह अनगिनत नदियों को अपने में समाहित कर लेता है, फिर भी अपनी मर्यादा में रहता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने भीतर गहराई और विशाल हृदय रखना चाहिए।

3. प्राकृतिक आपदाएँः चेतावनी और संतुलन का संकेत जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है, तो वह अपने उग्र रूप में सामने आती है भूकंप, चक्रवात, बाढ़ या सूखा। ये आपदाएँ केवल विनाश नहीं लातीं, बल्कि एक चेतावनी भी देती हैं। बढ़ता प्रदूषण, अंधाधुंध वनों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ रहे हैं।

* उदाहरण के लिए, जब जंगलों को काटा जाता है, तो वर्षा का संतुलन प्रभावित होता है, जिससे सूखा या बाढ़ जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। यह प्रकृति का संकेत है कि यदि हम उसके नियमों का उल्लंघन करेंगे, तो परिणाम भी हमें ही भुगतने होंगे।

4. पक्षी और पशुः सरलता और सामंजस्य का पाठ प्रकृति में रहने वाले पशु - पक्षी भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। पक्षियों का झुंड मिलकर उड़ता है, एक - दूसरे का साथ देता है। चींटियाँ सामूहिक रूप से कार्य करती हैं और भविष्य के लिए भोजन संचित करती हैं। यह हमें सहयोग, अनुशासन और दूरदर्शिता का महत्व समझाता है।

* जानवर वर्तमान में जीते हैं। वे भविष्य की अनावश्यक चिंता नहीं करते। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जीवन को सहजता और संतुलन के साथ जीना चाहिए।

5. मनुष्य और प्रकृति का संबंध मनुष्य स्वयं प्रकृति का ही एक अंश है, परंतु वह स्वयं को उससे अलग समझने लगा है। तकनीकी प्रगति और भौतिक सुख-सुविधाओं की दौड़ में उसने प्रकृति के साथ अपने संबंध को कमजोर कर दिया है। यदि हम थोड़ी देर के लिए शांति से बैठकर सूर्योदय को देखें, पक्षियों की चहचहाहट सुनें या बहती हवा को महसूस करें, तो हम पाएँगे कि प्रकृति हमें आंतरिक शांति और संतुलन प्रदान करती है।

* प्रकृति हमें यह भी सिखाती है कि हम सब एक - दूसरे से जुड़े हुए हैं। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, नदियाँ जल देती हैं, और धरती हमें अन्न प्रदान करती है। यदि हम इनका सम्मान और संरक्षण नहीं करेंगे, तो अंततः हमारा ही अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा।

* प्रकृति के अनेक रूप केवल दृश्य सौंदर्य नहीं हैं, बल्कि जीवन के गहरे दर्शन और शिक्षाओं के स्रोत हैं। वह हर दिन, हर पल हमें कुछ न कुछ सिखाने का प्रयास करती है धैर्य, संतुलन, सहयोग, परिवर्तन और विनम्रता। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम अपनी व्यस्त दिनचर्या से थोड़ा समय निकालकर उसके संदेशों को समझने का प्रयास करें।

* यदि हम प्रकृति की भाषा को समझ लें, तो न केवल हमारा जीवन संतुलित और शांतिपूर्ण होगा, बल्कि हम इस धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और सुंदर भी बना सकेंगे। प्रकृति मौन है, पर उसका संदेश अत्यंत गहरा और प्रभावशाली है बस हमें उसे सुनना और समझना सीखना होगा।

समझ केवल देखने से नहीं, बल्कि भीतर झाँकने से आती है

पिंकी कुंडू

मनुष्य केवल शरीर या सामाजिक पहचान भर नहीं है; वह अनुभवों, स्मृतियों, इच्छाओं, आशंकाओं और संबंधों का जटिल संयोजन है। जन्म से लेकर वर्तमान क्षण तक जो कुछ वह देखता, सुनता, सहता और समझता है, वही उसकी भीतरी संरचना का हिस्सा बनता जाता है। इसी कारण दो व्यक्ति, चाहे वे एक ही परिवार में पले - बढ़े हों, समान शिक्षा पाई हो, फिर भी उनकी प्रतिक्रिया, सोच और व्यवहार में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है।

उदाहरण के लिए, एक ही घर में पले दो भाई - बहन लें। दोनों ने समान वातावरण देखा, समान परिस्थितियों का सामना किया। फिर भी एक अधिक मिलनसार और अभिव्यक्तिशील हो सकता है, जबकि दूसरा शांत और अंतर्मुखी। जब घर में कोई समस्या आती है, तो पहला तुरंत संवाद के माध्यम से समाधान खोजने की कोशिश करेगा, जबकि दूसरा पहले अकेले में बैठकर परिस्थिति को समझने और भावनाओं को संतुलित करने का प्रयास करेगा। दोनों की प्रतिक्रिया भिन्न है, पर दोनों अपने - अपने ढंग से स्वाभाविक हैं।

इसी प्रकार कार्यस्थल का एक दृश्य देखें। एक कर्मचारी आलोचना को सुधार का अवसर मानकर आगे बढ़ता है, जबकि दूसरा उसी आलोचना को व्यक्तिगत अस्वीकार के रूप में महसूस करता है। यहाँ अंतर क्षमता का नहीं, बल्कि भीतर की संवेदनात्मक बनावट का है। किसी का आत्मविश्वास उसके पूर्व अनुभवों से पुष्ट हुआ है, तो किसी की संवेदनशीलता पुराने आघातों से आकार ले चुकी है।

समाज अक्सर पुरुष और स्त्री के व्यवहार को निश्चित साँचे में ढालने की कोशिश करता है जैसे पुरुष कठोर और तर्कप्रधान होंगे, स्त्रियाँ कोमल और भावुक। पर वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल है। एक पुरुष अत्यंत

संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण हो सकता है, जबकि एक स्त्री निर्णय लेने में अत्यंत दृढ़ और विश्लेषणात्मक। यह विविधता किसी जैविक सीमा से नहीं, बल्कि व्यक्तिगत यात्रा से उत्पन्न होती है।

हर व्यक्ति के भीतर एक अदृश्य संवाद चलता रहता है अपने आप से, अपने अतीत से, और भविष्य की आशंकाओं से। यही आंतरिक वार्तालाप उसकी मनोदशा को प्रभावित करता है। यदि किसी ने बचपन में असुरक्षा का अनुभव किया है, तो वह बड़े होकर अधिक सतर्क या संदेहशील हो सकता है। वहीं जिसने प्रोत्साहन और स्वीकृति पाई है, वह अधिक निडर और खुले स्वभाव का हो सकता है।

कभी - कभी हम दूसरों को उनके एक क्षणिक व्यवहार से परिभाषित कर देते हैं। यदि कोई चुप है, तो हम उसे घमंडी समझ लेते हैं; यदि कोई अधिक बोलता है, तो उसे हल्का या अस्थिर मान लेते हैं। पर व्यवहार के पीछे कारणों की एक पूरी परत छिपी होती है। चुप्पी कभी आत्मचिंतन का परिणाम होती है, तो कभी अस्वीकृति के भय का। अधिक बोलना कभी उत्साह का प्रतीक होता है, तो कभी भीतर की असुरक्षा को ढकने का प्रयास।

जीवन की घटनाएँ भी मनोदशा को बदलती रहती हैं। सफलता आत्मविश्वास को बढ़ा सकती है, पर कभी-कभी अहंकार को भी जन्म दे सकती है। असफलता किसी को तोड़ सकती है, पर किसी को और अधिक दृढ़ भी बना सकती है। यही कारण है कि स्वभाव कोई स्थायी और जड़ वस्तु नहीं, बल्कि परिस्थितियों के साथ विकसित होने वाली प्रक्रिया है।

यदि हम इस विविधता को समझने का प्रयास करें, तो संबंधों में अधिक धैर्य और सहानुभूति आ सकती है। जब हम यह स्वीकार करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति अपनी विशिष्ट पृष्ठभूमि और भावनात्मक संरचना के साथ प्रतिक्रिया दे रहा है, तब आलोचना की जगह समझ जन्म लेती है।

मानव समाज की सुंदरता इसी भिन्नता में निहित है। यदि सभी की प्रतिक्रियाएँ, विचार और भावनाएँ एक समान होतीं, तो न संवाद में गहराई होती, न अनुभवों में विस्तार। अलग - अलग मनोदशाएँ ही जीवन को बहुआयामी बनाती हैं और हमें यह सिखाती हैं कि समझ केवल देखने से नहीं, बल्कि भीतर झाँकने से आती है।

अनमोल स्वांस के लिए कैसी बहस

पिंकी कुंडू

सभी जानते हैं कि दुनिया की सारी दौलत मिलकर भी एक सांस नहीं खरीद सकती और न ही परमात्मा के अलावा इसे कोई दे सकता है। स्वांसों का प्रसाद जीवनशैली के लिए प्रकृति के कानूनी रूप से पूरी तरह स्वतंत्र है। सांस है तो सब कुछ है और नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मनुष्य इसके लिए भी आस्तिकता और नास्तिकता में उलझा हुआ है। न तो नास्तिक समझ पा रहा है कि मैं भगवान को क्यों नहीं मानता और न ही आस्तिक को यह समझ में आ रहा है कि मैं भगवान को क्यों मानता हूं।

इस सांस के लिए कैसी बहस। संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपने - अपने धर्म का पालन करते हुए ध्यान अभ्यास से स्वांसों के भीतर की शक्ति को पहचान सकता है। ज्ञान की समझ यह होनी चाहिए कि जीवन के लिए स्वांस का होना मूल है और अभ्यास से इसके भीतर की शक्ति

को पहचानना है। जीवन में कुछ बातें होती रहती हैं। इन पर जितना शोध करेंगे उतना उलझ जाएंगे।

इसलिए जो होता है उसे होने दीजिए। जैसा हम बोते हैं वैसा पाते हैं और वह घटकर रहेगा। परमात्मा भी ऐसा ही है। वह स्वांसों के भीतर का एक रहस्य है। ऐसा रहस्य जिसको ध्यान अभ्यास से सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। परमात्मा को खोलने का प्रयास व्यर्थ है। मनुष्य पहेली है और पहेली सुलझाई जा सकती है, लेकिन परमात्मा के रहस्य को खोलना बहुत मुश्किल है। परमात्मा इतना रहस्यमय है कि गहरा ही नहीं बल्कि अथाह है। गहराई तो फिर भी नापी जा सकती है पर जो अथाह है उसे कहां से पकड़ेंगे? इसलिए यदि कोई नास्तिक परमात्मा को नहीं मानता तो आस्तिक को परेशान होने की जरूरत नहीं है। परमात्मा स्वांसों के भीतर की परम शक्ति है और जीने का मामला है। इसलिए प्रत्येक स्वांस का हर पल आनंद लेना चाहिए। यह तभी संभव है जब ध्यान अभ्यास से स्वांसों के भीतर की शक्ति को पहचान कर स्वयं का बोध कर लिया जाए और परमानंद का अनुभव हो जाए।

रात्रि ठहराव एक परिवर्तनकारी प्रयास, प्रभावी शासन को आमजन के करीब लाना ही मुख्य उद्देश्य : एडीसी

एडीसी जगनिवास ने कहा, नागरिकों की समस्याओं का निदान हमारी प्राथमिकता, सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं ग्रामीण

परिवहन विशेष न्यूज

गांव रायपुर में रात्रि ठहराव कार्यक्रम आयोजित

झज्जर, 20 फरवरी। अंत्योदय उत्थान लक्ष्य के साथ हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ तय समय में मिलें व उनकी शिकायतों का प्राथमिकता के साथ निवारण किया जा सके, इन्हीं उद्देश्य के साथ शुक्रवार को झज्जर जिला के गांव रायपुर में जिला प्रशासन द्वारा रात्रि ठहराव कार्यक्रम का आयोजन किया।

इस दौरान एडीसी ने विभिन्न विभागीय स्टॉल का निरीक्षण करने उपरान्त ग्रामीणों की दो दर्जन से ज्यादा शिकायतों की सुनवाई करते हुए उनके निवारण की दिशा में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।

रात्रि ठहराव कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए एडीसी जगनिवास ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुन मौके पर समाधान किया। इससे पहले गांव रायपुर पहुंचने पर एडीसी जगनिवास, डीसीपी लोगेश कुमार पी सहित अन्य अधिकारियों का ग्रामीणों ने पगड़ी व फूलमालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। एसडीएम अंकित कुमार चौकसे ने उपमंडल प्रशासन की तरफ से सभी अधिकारियों का स्वागत किया।

प्रभावी शासन को आमजन के करीब लाना ही कार्यक्रम का उद्देश्य : एडीसी

एडीसी जगनिवास ने ग्रामीणों से रूबरू होते हुए कहा कि हरियाणा सरकार के सुशासन के उद्धेश्य में रात्रि ठहराव कार्यक्रम महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने कहा कि अंत्योदय उत्थान के ध्येय में यह एक परिवर्तनकारी प्रयास है जिसका उद्देश्य प्रभावी शासन को ग्रामीण लोगों के करीब लाना है। यही लोकतंत्र की सही परिभाषा है जहां जनता और शासन एक दूसरे के समानांतर दिखाई दे। जनसेवा को समर्पित समाधान शिविर के साथ ही लोगों के घर द्वार उनकी जन सुनवाई करने के उद्देश्य से रात्रि ठहराव कार्यक्रम के तहत प्रशासन गांव में पहुंच रहा है।

रात्रि ठहराव कार्यक्रम के जरिए हो रहा आमजन की समस्याओं त्वरित समाधान

रात्रि ठहराव कार्यक्रम में ग्रामीणों से संवाद करते हुए एडीसी जगनिवास ने कहा कि रात्रि ठहराव कार्यक्रम सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में सरकार द्वारा रात्रि ठहराव कार्यक्रम के माध्यम से आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए, कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की सोच है कि जिला प्रशासन के अधिकारी गांव में ठहरें और जन समस्या सुनते हुए मौके पर ही उनका समाधान करें। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। रात्रि ठहराव कार्यक्रम में गांव रायपुर,गिजड़ौद, सहित आसपास के ग्रामीणों ने सडक़, जल निकासी, बीमा, आंगनवाड़ी भवन, पशु बिजली और शिक्षा से जुड़ी समस्याएं खुलकर रखीं।

एडीसी ने मौके पर संबंधित अधिकारियों को निर्देश देकर अधिकांश शिकायतों का समाधान कराया।

इस बीच पुलिस उपनिरीक्षक अनिल कुमार ने ग्रामीणों को यातायात नियमों के पालन, साइबर फ्रॉड से बचाव तथा नशामुक्त जीवन की आवश्यकता पर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अपराधों से बचाव के लिए समाज को सजग रहना जरूरी है और किसी भी फ्रॉड की स्थिति में तुरंत 1930 नंबर पर शिकायत करें। इसके अलावा 112 की जानकारी दी।

सांस्कृतिक कार्यक्रमों व स्टॉलों से योजनाओं के प्रति जागरूकता का प्रसार

कार्यक्रम में सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की कलाकार मंडली ने हरियाणवी लोकगीतों और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से स्वच्छता पखवाड़ा, नशा मुक्ति और सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर ग्रामीणों को जागरूक किया।

स्वास्थ्य विभाग की टीम ने निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाकर 4 दर्जन ग्रामीणों की शुगर, बीपी और सामान्य जांच की तथा आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराईं।

इन विभागों के अधिकारी रहे उपस्थित

इस अवसर पर एसीपी सुरेंद्र कुमार,डीडीपीओ निशा तंवर,एलडीएम विजय सिंह,एक्सईएन जन स्वास्थ्य अश्विनी सांगवान, डीएफओ प्रवीण यादव,डीईओ रतिंद्र सिंह, बीडीपीओ माछरौली धर्मपाल,एएफएसओ अमरजीत सिंह, सरपंच मोनिका रानी,समाजसेवी रामेश्वर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा 163 लागू, 25 फरवरी से 1 अप्रैल तक रहेगा प्रतिबंध

परिवहन विशेष न्यूज

झज्जर, 20 फरवरी। जिलाधीश जगनिवास ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा जिला झज्जर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 25 फरवरी 2026 से 1 अप्रैल 2026 तक आयोजित की जा रही परीक्षाओं को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।

जिलाधीश जगनिवास द्वारा जारी आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़ एकत्र होने, अवरोध उत्पन्न होने अथवा सार्वजनिक शांति एवं व्यवस्था भंग होने की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। जारी आदेश के अनुसार जिले में परीक्षा के दिनों के दौरान 25 फरवरी से 1 अप्रैल 2026 तक प्रतिदिन दोपहर 12:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में व्यक्तियों के एकत्र होने, अनावश्यक आवागमन तथा फोटोस्टेट मशीनों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें विभागाध्यक्ष : एसडीएम

जिला में आयोजित समाधान शिविरों में दर्ज 5636 शिकायतों में से 125 शिकायते ही पेंडिंग

समाधान शिविर की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित

परिवहन विशेष न्यूज

झज्जर, 20 फरवरी। एसडीएम अंकित कुमार चौकसे आईएएस ने कहा कि समाधान शिविर जनता की समस्याओं के त्वरित एवं संतोषजनक निवारण के लिए सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेते हुए समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए तथा शिकायतकर्ता की संतुष्टि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने बताया कि अब तक जिला व उपमंडल स्तर पर आयोजित समाधान शिविर में कुल 5636 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिनमें से 125 शिकायते ही पेंडिंग हैं।

एसडीएम शुक्रवार को लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित साप्ताहिक समाधान शिविर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान एसडीएम बेरी रेणुका नांदल भी उपस्थित रही।

एसडीएम ने विभागवार प्राप्त शिकायतों की विस्तृत समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों से मौके पर ही प्रगति की जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायत के समाधान के उपरांत एटीआर (एक्शन टेकन रिपोर्ट) बिना विलंब संबंधित पोर्टल/कार्यालय को भेजी जाए। उन्होंने कहा कि समाधान शिविर का मूल उद्देश्य जनता की समस्याओं का शीघ्र, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण समाधान है, जिसे प्रत्येक अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझ कर पूरा करे। उन्होंने कहा कि सभी विभागाध्यक्ष एटीआर हर सप्ताह के बुधवार तक भेजना सुनिश्चित करें।

यह अधिकारी रहे मौजूद

इस अवसर पर एसीपी दिनेश कुमार, डीडीपीओ निशा तंवर, एक्सईएन पीडब्ल्यूडी सुमित कुमार, एक्सईएन जनस्वास्थ्य विभाग अश्विनी सांगवान सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

सरकारी योजना से सशक्त होंगे किसान, ट्रैक्टर सहायता से बढ़ेगी उत्पादकता : एसडीएम

लघु सचिवालय स्थित सभागार में एसडीएम अंकित कुमार चौकसे की अध्यक्षता में निकाला गया ऑनलाइन ड्रा

झज्जर, 20 फरवरी। लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में राज्य योजना (एसबी-89) वर्ष 2025-26 के अंतर्गत ट्रैक्टरों का ऑनलाइन ड्रा आयोजित किया गया। ड्रा प्रक्रिया की अध्यक्षता एसडीएम अंकित कुमार चौकसे आईएएस ने की। इस अवसर पर एसडीएम अंकित कुमार चौकसे ने चयनित किसानों को बधाई देते हुए कहा कि सरकार की यह पहल किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि खेती-किसानी के कार्यों में ट्रैक्टर अत्यंत सहायक सिद्ध होता है और इससे किसानों को समय व श्रम दोनों की बचत होती है।

एसडीएम ने बताया कि अनुसूचित जाति श्रेणी के किसानों को योजना के तहत ड्रा प्रक्रिया के माध्यम से ट्रैक्टर आवंटित किए गए हैं, जिनसे किसान फसल अवशेष प्रबंधन अपनाकर अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन ड्रा प्रक्रिया आवेदक किसानों की उपस्थिति में पूरी तरह पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई गई।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सहायक कृषि अभियंता राजीव चावला ने बताया कि योजना के अंतर्गत कुल 222 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए, जबकि विभाग को 11 ट्रैक्टरों का लक्ष्य मिला है। इसके अतिरिक्त 11 किसानों को प्रतीक्षा सूची में भी रखा गया है। जिन किसानों का चयन हुआ है, उनके दस्तावेजों का सत्यापन 24 फरवरी तक किया जाएगा तथा 3 मार्च को स्वीकृति पत्र डाउनलोड किए जा सकते हैं। इसके बाद 8 मार्च तक ट्रैक्टर खरीद कर विभागीय पोर्टल पर बिल अपलोड करना होगा, जिसके उपरांत अंतिम स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने किसानों को कृषि यंत्रों के उपयोग, फसल अवशेष प्रबंधन तथा आधुनिक कृषि तकनीकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर एलडीएम विजय सिंह, मार्किट कमेटी के पूर्व चेयरमैन मनीष शर्मा नम्बरदार, विभागीय अधिकारी, बैंक प्रतिनिधि, कृषि विशेषज्ञ तथा बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।

सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेज

जिन किसानों का ड्रा में चयन हुआ है, वे अपना आवेदन फार्म, परिवार पहचान पत्र (पीपीपी), आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाते की प्रति, मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पंजीकरण, किसान आईडी, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र की फोटो प्रति व मूल दस्तावेज सत्यापन हेतु सहायक कृषि अभियंता कार्यालय झज्जर में प्रस्तुत करेंगे।

अनुदान का प्रावधान

योजना के अनुसार किसान को 45 एचपी या उससे अधिक क्षमता का ट्रैक्टर खरीदना होगा। ट्रैक्टर की लागत पर 50 प्रतिशत या अधिकतम 3 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। छह लाख रुपये तक की लागत पर आधी राशि तथा इससे अधिक लागत होने पर भी अधिकतम तीन लाख रुपये तक ही सहायता प्रदान की जाएगी।

राष्ट्रीय मिशन-खाद्य, तेल और तिलहन के अंतर्गत जिला स्तरीय कृषि मेला एवं किसान सम्मेलन का हुआ आयोजन

परिवहन विशेष न्यूज

गांव पाटोदा स्थित देवी मंदिर परिसर में किया गया जिला स्तरीय मेले का आयोजन

झज्जर, 20 फरवरी। जिलाभर में इन दिनों किसानों को विभिन्न कृषि संबंधी योजनाओं की जानकारी व लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से कृषि जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को गांव पाटोदा स्थित देवी मंदिर परिसर में जिला कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय मिशन-खाद्य, तेल और तिलहन के अंतर्गत जिला स्तरीय कृषि मेला एवं किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को पोषक अनाज की खेती, पोषण लाभ और सरकारी योजनाओं से जोड़ना रहा। इस दौरान प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया गया।

कृषि विभाग के एपीपीओ डॉ भैया राम ने मेले का शुभारंभ करते हुए विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया और किसानों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं।

एपीपीओ ने कहा कि पोषक अनाज न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं, बल्कि कम पानी में बेहतर उत्पादन देने के कारण किसानों के लिए आर्थिक रूप से भी फायदेमंद हैं। सरकार का लक्ष्य पोषण सुरक्षा को मजबूत करने के साथ-साथ किसानों की आय में वृद्धि करना है। उन्होंने किसानों से बाजरा, तिलहन जैसे पोषक अनाजों को अपनाने और मूल्य संवर्धन पर ध्यान देने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि उन्नत बीज, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, फसल बीमा, ड्रिप-स्प्रिंकलर जैसी सिंचाई तकनीकें और प्राकृतिक खेती को अपनाकर किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं।

किसान मेले में एग्री स्टैक विषय तकनीकी अधिकारी डॉ रोहित वत्स ने विस्तार से प्रकाश डालते हुए किसानों से फार्मर आईडी बनवाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कृषि संबंधी योजनाओं का लाभ लेने के लिए फार्मर आईडी बनवाना जरूरी है किसान यह आईडी जरूर बनवाएं साथ दूसरे किसानों को भी एग्रीस्टैक फार्मर आईडी बनवाने के लिए प्रेरित करें। कृषि विशेषज्ञ डॉ रमेश लांबा, डॉ यगदीप, डॉ मंगेश, कुलदीप व साहिल ने फसल विविधीकरण, उन्नत कृषि यंत्रों, कीट-रोग प्रबंधन और बाजार से जुड़ाव पर तकनीकी सत्रों के माध्यम से मार्गदर्शन दिया। मेले में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया और योजनाओं का लाभ उठाने की जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम के दौरान गांव में स्थित पीएचसी में कार्यरत डॉक्टर श्री पवन कुमार ने किसानों को स्वास्थ्य के बारे में विस्तृत जानकारियां दी और किसानों से प्राकृतिक खेती से पैदा हुआ अनाज ही अपने खाने में शामिल करने के अपील की ताकि हम जहर मुक्त अनाज अपनी थाली में परोस सके और बीमारियों से छुटकारा पाया जाए। प्रगतिशील किसान सुरेंद्र मछरौली ने किसानों के साथ प्राकृतिक खेती के अपने अनुभव को साझा किया जबकि श्री सोमबीर सांख्यिकी सहायक ने किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। इस अवसर पर सहायक तकनीकी प्रबंधक कुलदीप कोड़ान, रिंकू, इंदु व दीपा, साहिल, दीपक, प्रदीप गुढ़ा, रोहित, अनिल आदि उपस्थित रहे।

स्मृतियों में

आजकल बार काऊंसिल पंजाब एवं हरियाणा चंडीगढ़ के चुनाव में एक से एक नामी गिरामी वकील, पहले भी रह चुके है, फिर से जितना चाह रहे हैं, आप सिर्फ इतना विचार कीजिए कि वकील समाज के लिए इन्होंने क्या किया, वकील पर उत्पीडन, उनके भविष्य के लिए कोई सार्थक प्रयास कुछ नहीं किया, खुद कमाकर, नामकमाकर बैठ गए, क्या आप इन्हे आपातकाल में एक फोन कर बुला सकते हैं, जवाब है नहीं। हजारों बहाने होंगे , वही दस्तक देगें जहाँ जनसमूह होगा, प्रलोभन देगें, प्रचुर मात्रा में धन हैं उसका दुरुपयोग करेगें और हममें से अधिकांश जमीर बेचकर इनका साथ देगें, मेरा एक अकिंचन प्रयास है, और अगर विश्वास हो तो एक नाम मैं जानता हूँ, आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि चाहे आप किसी भी बार से संबंधित हो, पर *एडवोकेट सुनीता रजत कल्सन* जो एडवोकेट बार एसोसिएशन हाँसी एवं हिसार से हैं, उनसे अच्छा, प्रामाणिक, हर परिस्थिति में आप के साथ, हर समस्या के निवारण के लिए आपके एक संदेश पर हाजिर और समस्या समाधान, आपकी आवाज बन कर उपस्थित मिलेगी अत: नि:संकोच बिना प्रलोभन में आए उन्हें अपना मत देकर विजयी बनाए। यही इस प्रबुद्धवर्ग से अनुरोध है। एक ही चेहरा, एक ही नाम *एडवोकेट सुनीता रजत कल्सन जीते, तो हमारा सम्मान।

प्रो. मनोज कुमार कैन ने वायु सेना उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पालम का दौरा किया

शैक्षणिक विषयों और नई शिक्षा नीति पर की चर्चा

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित प्रोफेसर मनोज कुमार कैन ने हाल ही में पालम, दिल्ली कैंट स्थित वायु सेना उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने विद्यालय के प्राचार्य श्री अशोक कुमार और शिक्षकगणों के साथ विभिन्न महत्वपूर्ण शैक्षणिक विषयों पर गहन विचार-विमर्श किया।

ऐतिहासिक विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य वाले विद्यालय के परिसर में पहुँचने पर प्राचार्य श्री अशोक कुमार ने प्रो. कैन का गर्मजोशी से स्वागत किया। चर्चा के दौरान प्राचार्य ने विद्यालय के गौरवशाली इतिहास को साझा करते हुए बताया कि इस संस्थान की स्थापना आजादी के पांच वर्ष बाद, 1952 में हुई थी। विद्यालय की ऐतिहासिक महत्ता का प्रमाण इस बात से मिलता है कि 10 फरवरी 1959 को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने यहाँ का दौरा किया था। विद्यालय की डायरी में आज भी उनके द्वारा लिखे गए शब्द ₹प्रसन्न हुआ₹ और उनके हस्ताक्षर सुरक्षित हैं।प्राकृतिक रूप से संपन्न यह विद्यालय अपने शांत वातावरण और दशकों पुराने विशाल वृक्षों के लिए जाना जाता है, जो विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए एक आदर्श परिवेश प्रदान करते हैं।

शैक्षणिक विमर्श और सर्वांगीण विकास को महत्वपूर्ण मानते हुए

प्रो. मनोज कुमार कैन ने शिक्षकों के साथ संवाद के दौरान नई शिक्षा नीति (NEP) और समकालीन शिक्षा पद्धतियों पर विस्तार से बातचीत की।उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास मे सहायक हो। संवाद सत्र में शिक्षक मनीषा राय, राखी कुमार और हामिदा ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया और विद्यालय की हालिया उपलब्धियों व शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में प्रो. कैन को अवगत कराया।

विकसित भारत के संकल्प की चर्चा करते हुए प्राचार्य श्री अशोक कुमार ने विद्यालय के विजन को स्पष्ट करते हुए कहा, ₹हमारा मुख्य उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है ताकि यहाँ का प्रत्येक विद्यार्थी एक जिम्मेदार नागरिक बनकर 'विकसित भारत' के निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दे सके।₹ वर्तमान में विद्यालय कला, वाणिज्य और विज्ञान तीनों संकायों में शिक्षा प्रदान कर रहा है।यह भेंट न केवल विचारों के आदान-प्रदान का माध्यम बनी,बल्कि अकादमिक जगत और स्कूली शिक्षा के बीच समन्वय को भी मजबूती प्रदान की।

सड़क दुर्घटनाओं रोकथाम एवं जागरुकता शिविर - वर्कशॉप आयोजित

परिवहन विशेष न्यूज

सड़क सुरक्षा संगठन सोनीपत हरियाणा द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में रोकथाम एवं जागरुकता शिविर वर्कशॉप का आयोजन किया।

इस अवसर पर संदीप बत्रा द्वारा आशीष गुप्ता की अध्यक्षता में उपस्थित स्टाफ, ग्राहकों, एवं राहगीरों को जन हित की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सड़क के प्रयोग करने वाले नागरिकों की तरफ से वाहन चालकों से अनुरोध किया गया:-

1. रात के समय भीड़ वाली सड़क पर तेज रोशनी पर रोकथाम,
2. नंबर प्लेट के स्थान पर जाति सूचक शब्दों पर रोकथाम,

3. सड़कों पर खड़े हो कर शराब पीने पर रोकथाम,
4. सड़कों पर अतिक्रमण पर रोकथाम,
5. दो पहिया वाहन पर तीन सवारी की रोकथाम,
6. तेज़ रफ्तारी पर रोकथाम, एवं
7. यातायात के नियमों का पालन करने एवं सड़कों से गुजरने वाले सभी जीवों की रक्षा करने का भी संकल्प।

इस मौके पर पर्यावरण एवं सुरक्षा मित्र मनीष ट्री,राघव,जसबीर, संदीप कौशिक, योगेश,हिना,कोमल,मंजू,रेशमा, सुधीर इत्यादि की तरफ जागरुकता अभियान को सफ़ल बनाने में सहयोग दिया गया।

पर्यावरण के प्रति जागरूकता अभियान

परिवहन विशेष न्यूज

सड़क सुरक्षा संगठन सोनीपत के नेतृत्व में जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में आज पर्यावरण मित्र मनीष ट्री की अगुवाई में कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में पर्यावरण के प्रति जागरूकता अभियान में शामिल होने के लिए स्टाफ सदस्यों द्वारा खंड स्तर पर विद्यालयों को हरा भरा रखने का संकल्प लिया गया।

इस मौके पर संगठन द्वारा उपस्थित जिला शिक्षा अधिकारी नवीन गुलिया उप जिला शिक्षा अधिकारी रविन्द्र कुमार, जिला शिक्षा विभाग संयोजक नीति मैडम के हाथों कार्यालय परिसर को हरा भरा रखने के लिए पौधे समर्पित करने के साथ साथ उनकी देख भाल के लिए भी निवेदन किया गया।

इस दौरान सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संदीप बत्रा द्वारा रेट्रो टेप युक्त रिफलेक्टर एवं यातायात व्यवस्था में सुधार हेतु जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों का आभार प्रकट किया गया।

Breaking - कुशीनगर

- इंटर के 700 छात्रों के बोर्ड परीक्षा पर रोक मामले में कार्यवाही शुरू
- आरोपी लिपिक पर मुकदमा दर्ज
- लिपिक ज्ञान प्रकाश पाठक पर मुकदमा दर्ज
- BNS की धारा 319(2),318(4),336(2) में दर्ज हुआ मुकदमा
- अन्य जिम्मेदारों पर अभी नहीं हुई कोई कार्यवाही
- गोस्वामी तुलसीदास इंटर कॉलेज से पत्राचार के माध्यम से 700 छात्रों ने किया था आवेदन
- नियमों को दरकिनार करके भरा गया था बोर्ड परीक्षा फार्म
- प्रमाण पत्रों पर नोडल अधिकारी के स्थान पर लिपिक ने किया था हस्ताक्षर
- परीक्षा शुल्क न जमा करने पर हुआ निरस्तीकरण
- 700 परीक्षार्थियों की एक साल की मेहनत पर फिरा पानी
- DIOS श्रवण गुप्ता की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे 700 छात्र
- प्रिंसिपल के रहते DIOS ने अलग से बनाया था नोडल अधिकारी
- हर छात्र से हुई थी हजारों रुपए की वसूली
- DIOS ने भी नहीं कराई थी परीक्षा फार्म की जांच
- पडरौना नगर के गोस्वामी तुलसीदास इंटर कॉलेज का मामला

- सत्यम मिश्रा
- सोशल मीडिया विशेषज्ञ
- उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड

मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार को जीएसटी का 1 करोड़ 25 हजार 297 रुपये का नोटिस

नोटिस मिलते ही परिवार में मचा हड़कंप, गरीब परिवार सदमे में

रायबरेली के मो. शहीद को डाक से मिला नोटिस केंद्रीय माल एवं सेवा कर व केंद्रीय उत्पाद शुल्क, वैशाली प्रभा मंडल हाजीपुर से जारी हुआ नोटिस। पुश्तैनी तौर पर कुल्हड़, मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाकर पीड़ति चलाता है परिवार निरक्षर होने के चलते नोटिस समझ पाने में भी हो रही दिक्कत। मो. शहीद ने खुद को बताया साजिश और धोखाधड़ी का शिकार, पीड़ति का आरोप पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल कर फर्जी फर्म बनाई गई। पार्टनरशिप या बड़े कारोबार से किया साफ इनकार

मामले की जांच और न्याय की मांग, प्रशासन से लगाई गुहार हरचंदपुर थाना क्षेत्र के रघुवीरगंज बाजार का रहने वाला है पीड़ति मो0 शहीद.

सत्यम मिश्रा
सोशल मीडिया विशेषज्ञ
उत्तर प्रदेश /उत्तराखंड

दिल्ली में सनातन प्रीमियर लीग की ट्रॉफी का अनावरण

मुख्य संवाददाता

नई दिल्ली, 20 फरवरी। राजधानी में गुरुवार को सनातन प्रीमियर लीग (एसपीएल) का भव्य ट्रॉफी अनावरण समारोह आयोजित किया गया। सनातन क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के साथ ही लीग का औपचारिक शुभारंभ हुआ। आयोजकों ने इसे "द ग्रेट डोम ऑफ क्रिकेट" बताते हुए खेल, संस्कार और सांस्कृतिक चेतना के संगम के रूप में प्रस्तुत किया।

ट्रॉफी का अनावरण सनातन धर्म के विख्यात कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह लीग केवल क्रिकेट प्रतियोगिता नहीं, बल्कि युवाओं में अनुशासन, राष्ट्रभक्ति, सेवा और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रसार का अभियान है। उनके अनुसार, ऐसे आयोजन युवाओं को सकारात्मक दिशा और नई ऊर्जा प्रदान करते हैं।

समारोह में पूर्व भारतीय क्रिकेटर चेतन शर्मा, आध्यात्मिक इन्फ्लुएंसर अभिनव अरोड़ा , बिजनेस कोच अभिनव बिंद्रा तथा ज्योतिषाचार्य सुमित आचार्य सहित कई विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। सभी ने एसपीएल को खेल और संस्कृति के समन्वय की नई पहल बताया।

लीग के संस्थापक विजय शर्मा हैं, जबकि देव जोशी और आनंद मिश्रा सह-

संस्थापक हैं। आयोजकों के अनुसार, एसपीएल का उद्देश्य संसाधनों के अभाव में पिछड़ रहे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को मंच प्रदान करना है। 15 से 40 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ियों के लिए जयपुर (4 फरवरी), देहरादून (6 फरवरी), सूरत (8 फरवरी), दिल्ली (10 फरवरी), मुंबई (12 फरवरी), लखनऊ (14 फरवरी) और इंदौर (18 फरवरी) में ट्रायल आयोजित किए गए, जिनमें सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया।

चयनित खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएंगे। इसके बाद 12 से 15 मार्च 2026 तक इंदौर में टूर्नामेंट आयोजित होगा। मुकाबलों का प्रसारण Sony Ten और Sony TV पर किया जाएगा, जिससे जमीनी स्तर की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय पहचान मिल सके।

आयोजकों ने बताया कि लीग से प्राप्त धनराशि का उपयोग सामाजिक कार्यों—जैसे बालिकाओं की शिक्षा, विवाह सहयोग और जरूरतमंद बेटियों की सहायता—में किया जाएगा। दिल्ली में आयोजित यह समारोह एसपीएल की औपचारिक शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है।

ज्योति स्वरूप की कृति 'विचारों की भागीरथी' का लोकार्पण 22 को

डॉ. शंभु पंवार, नई दिल्ली। 20 फरवरी ।स्नेह चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में दिल्ली पुलिस के उप निरीक्षक, लेखक एवं साहित्यकार ज्योति स्वरूप गौड की नवीन कृति "विचारों की भागीरथी" का भव्य लोकार्पण समारोह 22 फरवरी को आईटीओ स्थित हिंदी भवन के सभागार में आयोजित किया जाएगा। लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त साहित्यकार डॉ. सविता चड्ढा करेंगी। मुख्य अतिथि के रूप में ऋषि कुमार शर्मा, पूर्व उप सचिव हिंदी साहित्य अकादमी, उपस्थित रहेंगे। अति विशिष्ट अतिथि के तौर पर वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, अंतरराष्ट्रीय लेखक-पत्रकार एवं विचारक डॉ. शंभु पवार, तथा साहित्यकार डॉ. सुधा शर्मा, अमोद कुमार विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह की गरिमा बढ़ाएंगे। कार्यक्रम का सुस्पष्ट एवं प्रभावी संचालन कवयित्री डॉ. वर्षा सिंह द्वारा किया जाएगा। आयोजकों के अनुसार "विचारों की भागीरथी" समकालीन सामाजिक-सांस्कृतिक विमर्श को सशक्त भाषा और संवेदनशील दृष्टि के साथ प्रस्तुत करती है, जो पाठकों के वैचारिक क्षितिज को विस्तृत करेगी ।स्नेह चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट ने राजधानी के साहित्यप्रेमियों से इस महत्वपूर्ण साहित्यिक आयोजन में सहभागिता कर रचनात्मक संवाद को सुदृढ़ बनाने का आह्वान किया है।

इन्दौर आइक्रो सदस्यों की बैठक 21 फरवरी को

आल इंडिया क्राइम रिफोर्म आर्गेनाइजेशन मध्यप्रदेश टीम इन्दौर के सदस्यों की बैठक 21 फरवरी को दोपहर 2 बजे पाटनीपुरा चौराहे पर रखी गई है। यहां जानकारी देते आइक्रो मध्यप्रदेश के प्रमुख संचालककर्ता गिरीश जोरे ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया की हम सभी मिल-जुलकर इन्दौर की समाजिक बुराईयों के प्रति जागरूकता लाने हेतु टीम को मजबूती प्रदान करने हेतु सदस्यों का मनोबल बढ़ायेंगे। इसी उद्देश्य से नशे की प्रवृत्ति पर प्रहार करने हेतु, शासन प्रशासन का साथ देते हुए समाजिक मिशन को पूरा करेंगे। समाज फैल रही विकृत मानसिकता को रोकने हेतु टीम आने वाले समय में किस प्रकार काम करेगी इस की जानकारी बैठक में सदस्यों को दी जायेगी।

प्रेषक - आइक्रो टीम इन्दौर के प्रमुख
- गिरीश जोरे

अफसरों की शहादत का शोर ?

आज का सिनेमा युद्ध, शहादत व सेना केंद्रित,
कहानियाँ पूरी तरह होना चाहिए थी विकेंद्रित।
देशभक्ति के नाम पर बन रही फिल्मों का शोर,
उस असली सैनिक की आवाज़ पहुँचे चहूँओर।

सीमा पर खड़ा होकर लड़ता रहता हैं सिपाही,
बॉर्डर की ज़मीं 1-1 इंच की रक्षा देता गवाही।
माना हर पात्र के साथ न्याय करना संभव नहीं,
लेकिन उसे क्रेडिट तो बड़े पर्दे पर दो हर कहीं।

अब कहानी कहने के तरीके चाहे बदल गये हो,
'चरित्र-चित्रण' में लेखक-निर्देशक का न्याय हो।
सैनिकों की बहादुरी में न हो अफसरों का शोर?
उनकी शहादतों के साथ न हो अन्याय घनघोर।

संजय एम तराणेकर
(कवि, लेखक व समीक्षक)
इन्दौर-452011 (मध्य प्रदेश)

मैक्रों की पुकार, मोदी का संकेत: क्या बदलेगा डिजिटल भविष्य?

प्रो. आरके जैन "अरिजीत"

दिल्ली के भारत मंडपम में एआई इंपैक्ट समिट का वह क्षण ऐतिहासिक बन गया। इमैनुएल मैक्रों मंच पर खड़े थे; आँखों में गहरी चिंता और स्वर में पिता-सी व्याकुलता। उन्होंने प्रधानमंत्री की ओर देख कहा— "मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, क्या आप इस क्लब में शामिल होंगे?" यह केवल कूटनीतिक प्रश्न नहीं, एक पिता की पुकार और सभ्यता की चेतावनी थी। उन्होंने पूछा, "जो चीजें वास्तविक जीवन में अपराध हैं, वे हमारे बच्चों के सामने क्यों परोसी जा रही हैं? फ्रांस पंद्रह वर्ष से कम आयु के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध की दिशा में बढ़ रहा है। स्पेन और ग्रीस भी आगे हैं। अब भारत को 'कोलिशन ऑफ विलिंग' में शामिल होने का आमंत्रण है— क्योंकि यह नियमों से बढ़कर हमारी सभ्यता का प्रश्न है।" उनके शब्द सभागार में गूँजे और असंख्य माता-पिताओं के हृदय तक पहुँचे। क्या हम अब भी मौन रहेंगे?

यह विमर्श अब केवल तकनीक की प्रगति का नहीं, हमारे बच्चों के मन और मर्म की सुरक्षा का प्रश्न बन चुका है। वैज्ञानिक शोध निरंतर चेतावनी दे रहे हैं कि सामाजिक माध्यम किशोरों में अवसाद, चिंता और आत्महत्या जैसे विचारों की प्रवृत्ति को बढ़ा रहे हैं। अनवरत स्क्रीन पर अंगुली चलाने की आदत ऐसी जकड़ बन चुकी है कि बच्चे नींद, अध्ययन और वास्तविक संबंधों से दूर होते जा रहे हैं। भारत में पचास करोड़ से अधिक युवा इंटरनेट से जुड़े हैं, जिनमें दस से चौदह वर्ष आयु के लाखों बच्चे इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टिकटॉक जैसे मंचों पर घंटों डूबे रहते हैं। इमैनुएल मैक्रों इसे स्पष्ट शब्दों में "डिजिटल अब्यूज" कहते हैं। प्रश्न यह है— क्या हम इसे अब भी मात्र "एक्सपोजर" का नाम देकर टालते रहेंगे, या फिर समय की पुकार सुनकर अपने बच्चों को इस विषैली स्क्रीन-जगत से बचाने का साहस करेंगे?

भारत में यह बहस पुरानी है, पर अब निर्णायक हो चली है। आर्थिक सर्वेक्षण ने सोशल मीडिया पर आयु-आधारित सीमा की अनुशंसा की है। एआई इंपैक्ट समिट में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार मंचों से डीपफेक और आयु-नियंत्रण पर चर्चा कर रही है। आंध्र प्रदेश सोलह वर्ष से कम आयु के लिए प्रतिबंध का प्रस्ताव रख चुका है। पर प्रश्न है— क्या केवल कानून पर्याप्त होगा? फेक आईडी और वीपीएन को कैसे रोका जाएगा? ऑस्ट्रेलिया ने सोलह वर्ष से कम आयु पर प्रतिबंध लगाया, फिर भी चुनौतियाँ बनी रहीं। भारत जैसे विशाल देश में यह और कठिन होगा। फिर भी इमैनुएल मैक्रों का प्रश्न स्पष्ट है— क्या बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि होगी?

विरोधी पक्ष का कहना है कि पूर्ण प्रतिबंध व्यावहारिक समाधान नहीं है। बच्चे शिक्षा, संवाद और सृजन के लिए इन मंचों का उपयोग करते हैं; कठोर प्रतिबंध उन्हें छिपे और अनियंत्रित उपयोग की ओर धकेल सकता है। इसलिए सख्त अभिभावकीय निगरानी, प्रभावी आयु-सत्यापन और सुदृढ़ सामग्री छनन को अधिक संतुलित विकल्प माना जा रहा है। डिजिटल व्यक्तिगत आँकड़ा संरक्षण अधिनियम अठारह वर्ष से कम आयु के लिए अभिभावकीय सहमति अनिवार्य करता है, किंतु प्रश्न शेष है— क्या यह पर्याप्त है? इमैनुएल मैक्रों का स्पष्ट मत है— जब तक मंच स्वयं जवाबदेही नहीं स्वीकारेंगे, तब तक बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी। फ्रांस में विधेयक आगे बढ़ चुका है। अब प्रश्न भारत के सामने है— क्या वह प्रतीक्षा करेगा?

यह प्रश्न केवल बच्चों तक सीमित नहीं, पूरे समाज का है। सोशल मीडिया ने सूचना को जनसुलभ बनाया, पर साथ ही घृणा, उत्पीड़न और मिथ्या समाचार का खुला बाजार भी खड़ा कर दिया। सबसे आसान लक्ष्य हमारे बच्चे बनते हैं। एआई के दौर में डीपफेक और एआई जेनरेटेड कंटेंट ने खतरा दोगुना कर दिया है। ग्रोक चैटबॉट से हजारों बच्चों की सेक्शुअलाइज्ड इमेज बनने की घटना ने दुनिया को झकझोर दिया। इमैनुएल मैक्रों ने स्पष्ट कहा, "एआई सबके लिए होनी चाहिए, पर बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है।" नरेंद्र मोदी ने भी उत्तर दिया कि एआई को 'फैमिली-गाइडेड' और 'चाइल्ड-सेफ' बनाना अनिवार्य है। जब दोनों नेता एक स्वर में चेतावनी दे रहे हैं, तो प्रश्न यही है— क्या यह संकल्प केवल मंचीय शब्द बनकर रह जाएगा?

अब निर्णय की घड़ी आ पहुँची है। भारत विश्व का सबसे युवा राष्ट्र है; हमारी डेमोग्राफी हमारी ताकत है, लेकिन अगर हम बच्चों को डिजिटल जहर से नहीं बचाएंगे, तो यह ताकत कमजोर पड़ सकती है। मैक्रों का प्रस्ताव एक सीधी चुनौती है— क्या हम यूरोप के साथ संतुलित और नियंत्रित मार्ग चुनेंगे, या अमेरिकी मॉडल (फ्रीडम फर्स्ट) को अपनाएंगे? जी-7 की अध्यक्षता इस समय फ्रांस के पास है और यह विषय उनकी प्राथमिकताओं में अग्रणी है। यदि भारत इस पहल से जुड़ता है, तो वैश्विक मानक तय हो सकते हैं। निस्संदेह, क्रियान्वयन सरल नहीं होगा। प्लेटफॉर्म्स प्रतिरोध करेंगे, उपयोगकर्ता असंतोष प्रकट करेंगे। पर प्रश्न सीधा है— जब बच्चों का भविष्य दाँव पर हो, तब क्या कठिनाई निर्णय को टालने का कारण बन सकती है?

अंततः प्रश्न हम सबके लिए है— क्या हम सोशल मीडिया को अपने बच्चों का मित्र मानते हैं या अनजाने में उन्हें उनके भविष्य का शत्रु बना रहे हैं? इमैनुएल मैक्रों ने दिल्ली की धरती पर जो कहा, वह केवल फ्रांस की नीति की घोषणा नहीं थी; वह समूची मानवता के अंतःकरण से उठी चेतावनी थी। अगर हम अब नहीं जागे, तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। समय आ गया है कि भारत दृढ़ और साहसी निर्णय ले। बच्चों की हँसी आभासी परदे की चमक में नहीं, वास्तविक जीवन की खुली धूप में खिलनी चाहिए। प्रश्न यही है— क्या हम इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? उत्तर किसी और के पास नहीं, हमारे सामूहिक संकल्प में छिपा है।

ईमेल: rtirkjain@gmail.com

एक सरकारी स्कूल में 7वीं-8वीं कक्षा के 35 बच्चों द्वारा ब्लेड से अपनी कलाई काटने की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया- प्रशासनिक जवाबदेही, नियमित निरीक्षण और अंतरराष्ट्रीय मानकों की अनिवार्यता

भारत में स्कूली बच्चों की सुरक्षा -शिक्षा से आगे बढ़कर जीवन की रक्षा का राष्ट्रीय और वैश्विक दायित्व

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र

साथियों बात अगर हम छत्तीसगढ़ के एक स्कूल में हाल में हुई घटना को समझने की करें तो,धमतरी जिले के कुरूद स्थित एक सरकारी स्कूल में 7वीं-8वीं कक्षा के 35 बच्चों द्वारा ब्लेड से अपनी कलाई काटने की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। यह घटना केवल अनुशासन या प्रशासनिक लापरवाही का मामला नहीं है,बल्कि यह बच्चों की मनोवैज्ञानिक स्थिति,स्कूल वातावरण और सामाजिक संवाद की कमी की गंभीर चेतावनी है।

वैश्विक स्तरपर भारत 142 करोड़ से अधिक आबादी वाला विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। इतनी विशाल जनसंख्या में करोड़ों बच्चे प्रतिदिन स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। स्कूल केवल ज्ञान का केंद्र नहीं, बल्कि बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण, सामाजिकविकास और भविष्य की नींव का आधार होते हैं। ऐसे में स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। हाल के वर्षों में देश के विभिन्न हिस्सों में हुई घटनाएँ चाहे वह छत्तीसगढ़ के धमतरी जैसी दर्दनाक घटना हो या अन्य राज्यों में स्कूल परिसरों में हुई दुर्घटनाएँ,यह स्पष्ट संकेत देती हैं कि अब केवल शिक्षा की गुणवत्ता ही नहीं, बल्कि सुरक्षा की समग्र व्यवस्था पर भी अंतरराष्ट्रीय स्तर के मानक लागू करने की आवश्यकता है।मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं क़ि किसी भी सभ्य समाज की प्रगति का वास्तविक मापदंड उसके विद्यालयों की स्थिति और वहाँ पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा से निर्धारित होता है। विद्यालय केवल ज्ञान अर्जन का केंद्र नहीं, बल्कि भविष्य निर्माण की प्रयोगशाला होते हैं। यदि यह प्रयोगशाला ही असुरक्षित हो जाए तो राष्ट्र की नींव कमजोर हो जाती है। हाल के वर्षों में भारत के विभिन्न राज्यों से सामने आई घटनाएँ चाहे वह छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले की चौंकाने वाली घटना हो या अनेक राज्यों से जर्जर स्कूल भवनों के गिरने की खबरें,यह स्पष्ट संकेत देती हैं कि अब समय आ गया है जब स्कूल सुरक्षा को शिक्षा नीति के पूरक तत्व के रूप में नहीं, बल्कि उसके मूल स्तंभ के रूप में स्थापित किया जाए। शिक्षा की गुणवत्ता, डिजिटल नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की चर्चा तब तक अधूरी है जब तक बच्चों का जीवन और मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षित न हो।

साथियों बात अगर हम छत्तीसगढ़ के एक स्कूल में हाल में हुई घटना को समझने की करें तो, धमतरी जिले के कुरूद स्थित एक सरकारी स्कूल में 7वीं-8वीं कक्षा के 35 बच्चों द्वारा ब्लेड से अपनी कलाई काटने की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। यह घटना केवल अनुशासन या प्रशासनिक लापरवाही का मामला नहीं है,बल्कि यह बच्चों की मनोवैज्ञानिक स्थिति,स्कूल वातावरण और सामाजिक संवाद की कमी की गंभीर चेतावनी है। जब काउंसलिंग में यह सामने आया कि बच्चों ने देखा-देखी में यह कदम उठाया, तो यह स्पष्ट हो गया कि किशोरावस्था में सामूहिक प्रभाव और आकर्षण की प्रवृत्ति कितनी तीव्र होती है। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारे स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है?क्या बच्चों को अपनी भावनाएँ व्यक्त करने का सुरक्षित मंच मिल रहा है?क्या शिक्षक और अभिभावक उनके व्यवहार में होने वाले सूक्ष्म बदलावों को समझ पा रहे हैं? यदि इन प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक है,तो हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था की प्राथमिकताओं को पुनर्संतुलित करना होगा।

साथियों बात अगर हम 2 दिन पूर्व हाईकोर्ट द्वारा चिंता व्यक्त करने की करें तो,राजस्थान में सरकारी स्कूलों की जर्जर इमारतों पर चिंता व्यक्त करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने राज्य सरकार के बजट को ऊंट के मुंह में जीरा बताया। यह टिप्पणी केवल एक राज्य तक सीमित समस्या नहीं दर्शाती, बल्कि देश के अनेक हिस्सों में स्कूल भवनों की दयनीय स्थिति का प्रतीक है। जब भवनों की छतें कमजोर हों, दीवारों में दरारें हों, विद्युत तार खुले हों और शौचालय अनुपयोगी हों, तब बच्चों की सुरक्षा स्वतः खतरे में पड़ जाती है। बजट आवंटन और वास्तविक आवश्यकता के बीच की खाई को पाटना सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर मरम्मत, पुनर्निर्माण और बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करना केवल प्रशासनिक औपचारिकता नहीं, बल्कि सटीक जीवन रक्षा का कार्य है।

साथियों बात अगर हम इस मुद्दे को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में समझने की करें तो, विकसित देशों में भी स्कूल सुरक्षा एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे तकनीकी और आर्थिक रूप से समृद्ध राष्ट्र में भी विद्यालयों में गोलीबारी की घटनाएँ समय-समय पर होती रही हैं। 2022 में टेक्सास के उवाल्डे स्थित रोब्ब एलिमेंटरी स्कूल में हुई गोलीबारी ने पूरी दुनियाँ को स्तब्ध कर दिया था। इससे पहले 1999 में कोलोराडो के कॉलम्बीने हाई स्कूल में हुई घटना ने स्कूल सुरक्षा पर वैश्विक बहस को जन्म दिया। इन घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि आर्थिक समृद्धि और तकनीकी उन्नति अपने आप में सुरक्षा की गारंटी नहीं हैं। सुरक्षा एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें जोखिम मूल्यांकन, निगरानी, प्रशिक्षण और सामुदायिक सहयोग की निरंतर आवश्यकता होती है। भारत को इन अनुभवों से सीख लेकर अपने विद्यालयों के लिए बहु-स्तरीय अति महत्वपूर्ण सुरक्षा मॉडल विकसित करना चाहिए।

साथियों बात अगर हम भारत में शिक्षा का संचालन मुख्यतः राज्यों के अधीन है, इसको समझने की करें तो राष्ट्रीय स्तरपर नीति निर्माण में मिनिस्ट्री ऑफ़ एजुकेशन की केंद्रीय भूमिका है। नेशनल एजुकेशन पालिसी 2020 ने शिक्षा की गुणवत्ता,समावेशिता और नवाचार पर जोर दिया है, परंतु सुरक्षा को एक स्वतंत्र और अनिवार्य स्तंभ के रूपमें संस्थागत रूपसे स्थापित करने कीआवश्यकता अभी शेष है। स्कूल सुरक्षा नीति को स्पष्ट दिशा-निर्देशों के साथ लागू किया जाना चाहिए, जिसमें भवन सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा, विद्युत मानक, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ शौचालय, सीसीटीवी निगरानी, प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मी और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली शामिल हों। प्रत्येक विद्यालय के लिए अनिवार्य स्कूल सेफ्टी ऑडिट प्रणाली लागू की जानी चाहिए,जिसका वार्षिक नवीनीकरण हो और जिसकी रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो।जिला स्तर पर कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट प्रशासनिक व्यवस्था के प्रमुख होते हैं। यदि वे नियमित औचक निरीक्षण करें तो जमीनी स्तर की सच्चाई सामने आ सकती है। औचक निरीक्षण केवल औपचारिकता नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें सुरक्षा उपकरणों की कार्यशीलता, अग्निशामक यंत्रों की सर्विसिंग, सीसीटीवी कैमरों की स्थिति, आपातकालीन निकास मार्गों की उपलब्धता और खेल मैदानों की सुरक्षा का वास्तविक मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। कई बार स्कूलों में उपकरण तो लगे होते हैं, परंतु वे निष्क्रिय पड़े रहते हैं। ऐसी स्थिति में दुर्घटना होने पर केवल कागजी प्रमाण किसी बच्चे का जीवन नहीं बचा सकते। इसलिए निरीक्षण प्रणाली को परिणामोन्मुख और जवाबदेह बनाना अत्यंत ही आवश्यक है।

साथियों बात अगर हम ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों की स्थिति को समझने की करें तो यह विशेष चिंता का विषय है।कई स्कूल अस्थायी भवनों में संचालित होते हैं या दशकों पुराने ढाँचों में चल रहे हैं। वर्षा, भूकंप या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान ये भवन अतिरिक्त जोखिम उत्पन्न करते हैं।राज्य सरकारों को वार्षिक स्ट्रक्चरल ऑडिट अनिवार्य करना चाहिए और जर्जर भवनों को तुरंत उपयोग से बाहर कर वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। निजी विद्यालयों के लिए भी समान मानक लागू होने चाहिए। यदि कोई निजी संस्था सुरक्षा मानकों की अनदेखी करती है तो उसके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई जुर्माना, मान्यता निलंबन या निरस्तीकरण की व्यवस्था होनी चाहिए।भौतिक संरचना के अतिरिक्त मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। धमतरी की घटना ने यह स्पष्ट किया कि बच्चों के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य की अनदेखी गंभीर परिणाम दे सकती है।विद्यालयों में प्रशिक्षित काउंसलर नियुक्त किए जाने चाहिए। प्रत्येक स्कूल में 'बाल संरक्षण समिति' का गठन हो और शिक्षकों को लैंगिक संवेदनशीलता तथा बाल अधिकारों पर नियमित प्रशिक्षण दिया जाए। बुलिंग, शारीरिक दंड और लैंगिक उत्पीड़न के मामलों के लिए स्पष्ट शिकायत तंत्र हो। बच्चों को यह विश्वास दिलाना आवश्यक है कि उनकी आवाज सुनी जाएगी और उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।यह विश्वास ही सुरक्षा की सबसे मजबूत नींव है।

साथियों बात अगर हम स्कूल परिवहन भी सुरक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है इसको समझने की करें तो, ओवरलोडेड बसें, अप्रशिक्षित चालक औरफिटनेस प्रमाणपत्र की अनदेखी अक्सर दुर्घटनाओं का कारण बनती हैं। परिवहन विभाग और शिक्षा विभाग के संयुक्त निरीक्षण अभियान अनिवार्य होने चाहिए। प्रत्येक स्कूल बस में जीपीएस प्रणाली, फर्स्ट एड किट, अग्निशामक यंत्र और प्रशिक्षित परिचारक होना चाहिए। बस चालकों के लिए नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और पृष्ठभूमि सत्यापन भी अनिवार्य किया जाना चाहिए। बच्चों की सुरक्षा स्कूल के गेट तक सीमित नहीं रहनी चाहिए; घर से स्कूल और स्कूल से घर तक की पूरी यात्रा सुरक्षित होनी चाहिए,सामाजिक भागीदारी सुरक्षा तंत्र को और मजबूत बना सकती है। अभिभावक-शिक्षक संघ को केवल परीक्षा परिणाम या शुल्क संरचना तक सीमित न रखकर सुरक्षा समीक्षा में सक्रिय भागीदार बनाया जाना चाहिए।स्थानीय पुलिस, प्रशासन और समुदाय के बीच समन्वय सेसंदिग्ध गतिविधियों पर त्वरित कार्रवाई संभव है। स्कूल सेफ्टी कम्युनिटी नेटवर्क जैसे मॉडल विकसित किए जा सकते हैं, जहाँ समुदाय स्वयं निगरानी में सहयोग करे।डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अभिभावकों को सुरक्षा रिपोर्ट और निरीक्षण निष्कर्ष उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

साथियों बात अगर हम स्कूल सुरक्षा को केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी के रूप में देखना पर्याप्त नहीं है;इसको समझने की करें तो यह एक सामाजिक अनुबंध है जिसमें सरकार, शिक्षक,अभिभावक और समुदाय सभी सहभागी हैं। यदि किसी एक कड़ी में कमजोरी आती है तो पूरी व्यवस्था प्रभावित होती है। इसलिए समन्वित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। नीति निर्माण से लेकर क्रियान्वयन और निगरानी तक हर स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए।यदि मुख्यमंत्री स्वयं समय-समय पर स्कूलों की सुरक्षा संबंधी समीक्षा बैठकें लें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला अधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त करें, और आकस्मिक निरीक्षण करें, तो प्रशासनिक तंत्र में गंभीरता स्वतः आ जाती है। जब शीर्ष नेतृत्व संवेदनशील और सक्रिय होता है, तो निचले स्तर पर भी जवाबदेही बढ़ती है। बच्चों की सुरक्षा केवल शिक्षा विभाग का दायित्व नहीं, बल्कि गृह विभाग, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग का भी समन्वित उत्तरदायित्व है।

साथियों बात अगर हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई देशों ने स्कूल सुरक्षा को बहु-आयामी दृष्टिकोण से अपनाया है। आपदा प्रबंधन अभ्यास, नियमित मॉक ड्रिल, मनो वैज्ञानिक सहायता कार्यक्रम और सामुदायिक जागरूकता अभियान को शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बनाया गया है। भारत में भी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों को विद्यालय स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। भूकंप, आग या अन्य आपात स्थितियों के लिए छात्रों और शिक्षकों को प्रशिक्षित करना आवश्यक है ताकि संकट की घड़ी में घबराहट के बजाय संगठित प्रतिक्रिया हो।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे क़ बिच्चों की सुरक्षा केवल कानूनी या प्रशासनिक मुद्दा नहीं, बल्कि नैतिक दायित्व है। जिस राष्ट्र में बच्चे सुरक्षित नहीं, वहाँ विकास की कोई भी परिकल्पना अधूरी है। धमतरी जैसी घटनाएँ चेतावनी हैं कि हमें शिक्षा के साथ-साथ सुरक्षा को भी सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। अंतरराष्ट्रीय अनुभवों से सीख लेते हुए,स्थानीयआवश्यकताओं के अनुरूप मजबूत नीतियाँ बनाकर और उनका कठोर क्रियान्वयन सुनिश्चित करके ही हम अपने विद्यालयों को वास्तविक अर्थों में सुरक्षित बना सकते हैं।जब प्रत्येक अभिभावक यह विश्वास कर सके कि उसका बच्चा विद्यालय में सुरक्षित है, तभी शिक्षा व्यवस्था पर समाज का भरोसा पूर्ण रूप से स्थापित होगा। यही विश्वास राष्ट्र की प्रगति की सबसे सुदृढ़ आधारशिला है।

माँ, मातृभूमि और मातृभाषा ही हमारी पहचान

डा. विनोद बब्बर

भाषा मानसिक क्रियाओं, मनोभावों और मनोवेगों की अभिव्यक्ति का माध्यम है ।

कल्पना शक्ति, ज्ञान-प्रयोग एवं सम्प्रेषण का माध्यम है। भाषा के माध्यम से ही हम स्वयं के अतिरिक्त परिवार, समाज और विश्व से संसार से जुड़ते है। हमारे व्यक्तित्व का विकास जिसमें शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है, भाषा के बिना संभव नहीं। हम संकेतों की भाषा से आरंभ हुई भाषा से जुड़ाव की यह यात्रा मातृभाषा की मजबूत नींव के बिना विस्तार नहीं पा सकती। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हमारी समस्त मानसिक क्रियाए मातृभाषा के माध्यम से ही घटित होती हैं। मातृभाषा ही हमारी संकल्पनाओं का आधार है। बालक की शिक्षा का स्वाभाविक माध्यम मातृभाषा ही है। सरलतम और सहज रूप से प्राप्त अभिव्यक्ति के इस माध्यम को कोई भी बच्चा हृदय की धड़कन की तरह बिना प्रयास के सीखता है। अपनी मातृभाषा में सोचता, कल्पना लोक में विचरण करता और स्वप्न देखता है। अतः मातृभाषा बच्चे के जीवन का अभिन्न अंग और अमूल्य निधि होती है। इसीलिए पूरी दुनिया के शिक्षाविद और समाजशास्त्री मातृभाषा को हर बच्चे की शिक्षा का अनिवार्य माध्यम बनाने के पक्षधर है। पिछले 50 वर्षों में विश्व भर में हुए लगभग हर अध्ययन ने प्राथमिक स्तर तक मातृभाषा को माध्यम बनाने के पक्ष में निष्कर्ष प्रस्तुत किये। विशेषज्ञों के मतानुसार, 'विदेशी भाषा में अध्ययन से बालक के मस्तिष्क का बहुत कम भाग सक्रिय हो पाता है जबकि मातृभाषा के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति सरल होती है। प्रख्यात वैज्ञानिक पूर्व राष्ट्रपति डॉ. अब्दुल कलाम ने एक व्याख्यान में कहा था, 'मैं अच्छा वैज्ञानिक इसलिए बना क्योंकि मैंने गणित और विज्ञान की शिक्षा अपनी मातृभाषा में प्राप्त की।'

केवल कलाम साहब ही नहीं, विश्वकवि रविन्द्र नाथ टैगोर का मत है, 'यदि विज्ञान को जन-सुलभ बनाना है तो मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए।' गांधी जी जब अफ्रीका में थे तो उन्होंने अपने बच्चों को सर्वप्रथम गुजराती सिखाने पर बल दिया। क्योंकि उनका मत था, 'अन्य भाषाएं तो कभी भी सीखी जा सकती हे लेकिन मातृभाषा अभी या कभी नहीं।' उन्होंने अनेको बार इस मत को दोहराया, 'विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षा से बच्चों की तंत्रिकाओं पर अत्याधिक बोझ बढ़ता है जो उन्हें रट्टू बनाता है। वे सृजन के लायक नहीं रहते। मैं विदेशी भाषा लादकर अपने बच्चों को दुर्बल बनाने वालों को पाप का भागीदार मानता हूं।' अपनी पत्रिका हरिजन के 25 अगस्त, 1946 के अंक में वे लिखते हैं, ' अपनी मातृभाषा की कतिपय कमियों के बावजूद मैं उसके साथ उसी तरह से चिपटा रहूंगा जैसाकि माँ की छाती। एकमात्र यही मुझे जीवनदायिनी के रूप में दूध पिलाती है। मेरे लिए मातृभाषा का अनादर माँ के अनादर समान है। जो मातृभाषा और माँ का अनादर करे वह राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकता।'

यह सब विदित है कि भाषा और संस्कृति की तरह भाषा एवं शिक्षा का गर्भनाल का संबंध है। एक बच्चा सर्वप्रथम अपने परिवार और परिवेश की भाषा सीखता है। अभी उसका मस्तिष्क इतना विकसित नहीं होता कि वह एक साथ अनेक भाषाएं सीख सके। इसीलिए दुनियाभर के चिंतक, शिक्षा-शास्त्री और अनुभवी शिक्षकों का मत है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए। वह उस भाषा में सिखाएं हुए को बेहतर ढ़ंग से सीखता है। जर्मनी, रूस, जापान सहित अनेक विकसित देशों में शिक्षा का माध्यम उनकी अपनी भाषा है। शिक्षाविदों और मनोवैज्ञानिकों का मत है कि परिवेश से भिन्न अथवा अपरिचित भाषा बालक की प्रतिभा को कुंठित करती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह कि स्वतंत्रता के पश्चात हम विदेशी भाषा के मोहजाल में ऐसा फंसे कि मातृभाषाओं को उपेक्षित कर रहे हैं। पूरे देश में गली-गली अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का ऐसा जाल बिछ रहा है कि वहां पढ़े बच्चे न मातृभाषा सीख पाते हैं और न ही अंग्रेजी। आधा तीतर आधा बटेर बने इन बच्चों में आप यदि वैज्ञानिक ढूंढने हैं तो यह ज्यादती के अतिरिक्त आखिर और क्या है। सेवानिवृत वरिष्ठ वैज्ञानिक संक्रात सानू की पुस्तक में दिये गये तथ्यों के अनुसार 'विश्व में प्रथम पंक्ति के 20 देश वे हैं जहां सारा कार्य उनकी मातृभाषा में होता है। इनमें चार देश अंग्रेजी भाषी है, क्योंकि उनकी मातृभाषा अंग्रेजी है। लेकिन जब हम विश्व के सबसे पिछड़े हुए 20 देशों की सूची बनाते हैं तो ये वे देश हैं जहां विदेशी भाषा शिक्षा से शासन-प्रशासन तक हावी है।' विश्व को आर्य भट्ट, वराहमिहिर और वृहस्पति जैसे गणितज्ञ देने वाले भारत में विज्ञान में आविष्कार न होना, प्रौद्यौगिकी के लिए दूसरों पर निर्भरता के अन्यत्र कारण तलाशने की आवश्यकता नहीं है। मात्र 2 प्रतिशत फ्रांसीसी, जापानी, जर्मनी बोलने वाले दुनिया में प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं तो हम भारतीय हीनभावना के शिकार क्यों? जब रशियन, जापानी, जर्मनी अपनी भाषा में उच्चशिक्षा के बावजूद विश्व में उच्चतम सम्मान बनाये हुए हैं तो हम अपनी भाषा में ऐसा क्यों नहीं कर सकते?

यूनिसेफ की एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट का निष्कर्ष है, 'बीच में पढ़ाई छोड़ देने का मुख्य कारण शिक्षा का माध्यम मातृभाषा का न होना है। उसे बात ठीक से समझ ही नहीं आती इसलिए वह स्कूल से जी चुराने लगता है।' यह निर्विवाद सत्य है कि बच्चा जितनी ऊर्जा और समय 'माध्यम' का ज्ञान अर्थात अंग्रेजी सीखने में लगाता है उतना मूल विषय सीखने में नहीं लगाता। इसी का प्रभाव है कि विज्ञान, गणित और अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होने वालों का अनुपात सर्वाधिक होता है। यह राष्ट्र के संसाधनों और मानवीय संसाधनों का घोर अपमान एवं दुरुपयोग तो है ही, बच्चे के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास में भी बाधक है। यह असफलता अनेक बार युवाओं को गलत कदम उठाने के लिए बाध्य करती है। कुछ नशे का सहारा लेने लगते हैं तो कुछ इससे भी गलत चुनते हैं। आईईटी, इंदौर के इंजीनियरिंग छात्र शुभम मालवीय ने अपने सुसाइड नोट में माता-पिता को लिखा है, 'मुझे माफ कर देना। आप मुझे पढ़ाना चाहते थे, लेकिन मुझे अंग्रेजी नहीं आती है। इसलिए मैं ठीक से नहीं पढ़ पा रहा हूं। मेरी मौत के बाद दोनों भाइयों का ख्याल रखना।'

कोटा में कोचिंग लेने वाली छात्रा कृति ने अंतिम पत्र में अपनी मां को लिखा, 'आपने मेरे बचपन और बच्चा होने का फायदा उठाया और मुझे विज्ञान पसंद करने के लिए मजबूर करती रहीं। मैं भी विज्ञान पढ़ती रहीं ताकि आपको खुश रख सकूं। मैं क्वांटम फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स जैसे विषयों में ही बीएससी करना चाहती थी लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुझे आज भी साहित्य और इतिहास बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये मुझे मेरे अंधकार के वक्त में मुझे बाहर निकालते हैं।' उसी पत्र में कृति ने चेतावनी देते हुए कहा है, 'इस तरह की चालाकी और मजबूर करनेवाली हरकत 11 वीं क्लास में पढ़नेवाली छोटी बहन से मत करना, वह जो बनना चाहती है और जो पढ़ना चाहती है उसे वो करने देना क्योंकि वो उस काम में सबसे अच्छा कर सकती है जिससे वो प्यार करती है।'

यह समझना जरूरी है कि भाषा के केवल संम्पेषण का माध्यम नहीं बल्कि हजारों, लाखों वर्षों के संचित ज्ञान और संस्कृति का प्रवाह है। हमारी मातृभाषा हमें हमारे पूर्वजों से जोड़ती है। अंग्रेजी से अत्याधिक लगाव का सबसे अधिक प्रभाव मातृभाषाओं पर पड़ रहा है। पिछले दिनों एक सुबह स्वर्ण मंदिर की चौखट को प्रणाम करने का सुयोग बना। उसके बाद प्रबंधक कमेटी कार्यालय में एक अधिकारी से हुई भेंट में मेरे पंजाबी में पूछे गये हर प्रश्न का उत्तर वे अंग्रेजी मिश्रित हिंदी में ही दिया तो मैंने पूछ ही लिया, 'क्या कारण है आप अपनी मातृभाषा के बदले हिंदी अंग्रेजी का प्रयोग कर रहे हैं?' उनका उत्तर था, 'वीर जी, पिछले कुछ सालों में हमारे घरों का माहौल भी इतना बदला है कि क्या बताऊं। मजबूरी कहो या गलती, हम सबके बच्चे अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़ते हैं। ढ़ाई - तीन साल के बच्चे पर अंग्रेजी लादी जाती है। हम जानते है कि यह गलत है लेकिन क्या करें। आगे बढ़ने के लिए अंग्रेजी जरूरी। देश से जुड़ने के लिए हिंदी जरूरी। उस मासूम पर तीन-तीन भाषाओं का बोझ जुल्म नहीं तो और क्या है। एजुकेशन सिस्टम के फाल्ट और भाषा के मुद्दे पर आजादी से आज तक कितनी आवाजे उठी, पर क्या हुआ? अंग्रेजी तो बढ़ती ही जा रही है। पिछड़ रही हैं तो हमारी मां बोलियां। बलि पर चढ़ रही है तो मां बोलियां। स्टेट से सेंटर तक मां बोली और हिंदी के लिए बड़ी बडी बाते करने वाले भी आये पर सब अंग्रेजी के रंग में रंग गये। कोई वजह तो जरूर होगी। सबने वह वजह ढूंढने की कोशिश की। वजह मिली पर इलाज नहीं मिला। इसलिए बीमारी तेजी से फैल रही है। हमने, आपने, सबने समझौता कर लिया है। आप भी प्लीज मेरी लेंग्वेज को माइंड न करें।'

लगभग यही बात आपसी बातचीत में अरूणाचल विश्वविद्यालय के एक प्राध्यापक ने कही। उनके अनुसार, 'अपनी बूढ़ी माँ से केवल मैं ही बात करता हूं क्योंकि मेरे पढ़ी लिखी पत्नी मातृभाषा बोलने से बचाती है और बच्चें मातृभाषा जानते नहीं। आसपास भी कोई ऐसा नहीं जो मां की भाषा समझ या बोल सके।' विचारणीय है कि अंग्रेजी से सबसे अधिक खतरा मां बोली (मातृ भाषा, स्थानीय बोली) पर है। अपनी संस्कृति, अपनी परम्परा से सर्वाधिक प्रेम करनी वाली कौम का एक सिपाही अपने पूर्वजों की भाषा के मामले में विवश है तो समझना होगा खतरा कितना बड़ा है। आप हथियार डालने को कमजोरी कहकर उन्हें कोस सकते हो लेकिन पहले इस प्रश्न का उत्तर तलाशना होगा कि हिंदी के ओजस्वी वक्ता हिंदी में वोट मांगकर जब हिंद के सिंहासन पर विराजित होते हैं तो वे क्यों हथियार डाल देते हैं? जब तक इस मजबूरी का निदान और उपचार नहीं होगा, स्थानीय बोलियां, भाषाएं उपेक्षित होती रहेगी। अभी हाल ही मैं अबूधाबी सरकार ने हिंदी को भी तीसरी भाषा के रूप में मान्यता दी है। वहां के न्यायालयों में भी हिंदी को स्वीकार किया जायेगे लेकिन दुर्भाग्य कि बात यह कि भारत के न्यायालयों में अंग्रेजी हावी है। जब तक यहां भी प्रशासन और न्यायालय में अपनी भाषाओं को सम्मान प्राप्त नहीं होगा, हम ज्ञान से लोक व्यवहार तक सम्मान प्राप्त नहीं कर सके।

यह संतोष की बात है कि नई शिक्षा नीति में प्राथमिक कक्षाओं तक मातृभाषा में शिक्षा देना अनिवार्य बनाया गया है। लेकिन देश के दूर दराज के क्षेत्र में नहीं अपितु राजधानी दिल्ली एनसीआर के सभी निजी स्कूलों में शिक्षा का माध्यम आज भी यथावत अंग्रेजी है। दुखद आश्चर्य यह कि एक भी विद्यालय पर शिक्षा नीति के घोर उल्लंघन का मामला दर्ज नहीं किया गया। भारत जैसे बहुभाषी देश में किसी भी व्यक्ति के लिए सभी भाषाएं सीखना संभव नहीं है इसीलिए त्रिभाषा फार्मूला बनाया गया लेकिनअनेक राज्यों द्वारा उसका पालन न करने पर देश की सर्वोच्च संसद अथवा माननीय उच्चतम न्यायालय ने कोई संज्ञान नहीं लिया। जबकि देश का प्रत्येक व्यक्ति या चाहता है कि शिक्षा, न्याय और प्रशासन में त्रिभाषा फार्मूले का पालन होना ही चाहिए।

21 फरवरी विश्व मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 21 फरवरी 1952 को वर्तमान बांग्ला देश (तब पूर्वी पाकिस्तान) के ढाका शहर में अपनी मातृभाषा बांग्ला के लिए आंदोलन कर रहे भाषा प्रेमियों पर पाकिस्तानी सेना ने गोली चलाई जिससे अनेक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। यह घटना प्रमाण है कि भाषा का धर्म से कोई संबंध नहीं होता। इस बात से भला किसी सुसंस्कृत व्यक्ति भला कैसे असहमति हो सकती है कि जननी के प्रति आदर, जन्मभूमि के प्रति समर्पण और मातृभाषा के प्रति प्रतिबद्धता से ही किसी मनुष्य के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास संभव है । इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि हम अन्य भाषाओं के प्रति तिरस्कार का भाव रखें लेकिन अन्य भाषाओं की कीमत पर अपनी मातृभाषा को भी अपेक्षित नहीं किया जा सकता। इसलिए 21 फरवरी विश्व मातृभाषा दिवस के अवसर पर हम संकल्प ले कि अपने घर पर मातृभाषा का अपयोग करेंगे। घर पर अपनी बोली के लोक-संगीत, लोकगीतों के कैसेट जरूर रखें जिन्हें कम से कम छुट्टी वाले दिन जरूर बजायें। अपने घर, कार्यालय, दुकान में नाम पट्ट एवं पट्टिकाएं अपनी भाषा में ही लिखे। अपने व्यक्तिगत पत्र, आवेदन पत्र, निमंत्रण-पत्र आदि भी मातृभाषा या भारतीय भाषा में छपायेंगें। संकल्प लें कि केवल उन्हीं मांगलिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे जिनके निमंत्रण पत्र हिंदी अथवा किसी भारतीय भाषा में होंगे। यदि हमें अपनी संस्कृति और अपनी पहचान को जीवित रखना है तो यह सदैव याद रखना होगा कि मातृभाषा 'मात्र' भाषा नहीं हमारी जड़े हैंऔर जो अपनी जड़ों से कट जाता है वह मिट जाता है।

ब्राह्मण बनाम ब्राह्मणवाद : हंगामा है क्यों बरपा!

(आलेख : मुकुल सरल)

दिनों-दिन और जाहिल हो रहे हैं/ न जाने क्या पढ़ाया जा रहा है

ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद -- यह इतनी बेसिक बात है, जिसे लेकर लगता था कि इस पर बात क्या करनी !, इसका फ़र्क़ तो सब जानते होंगे। अगर आपने थोड़ा भी सामाजिक विज्ञान पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा, लेकिन अपने घर-परिवार और आसपास के समुदाय/समाज को थोड़ा भी देखते-समझते होंगे, जाति की सत्ता और सत्ता की राजनीति की ज़रा भी समझ रखते होंगे, तो इसे बख़ूबी पहचानते होंगे। लेकिन नहीं, आज जिस तरह का नैरेटिव बनाया जा रहा है, उससे लगता है कि कुछ चालाक जातिवादी लोग जानबूझ कर इसे मिक्स कर देना चाहते हैं, एक भ्रम बना रहने देना चाहते हैं, ताकि उनका विशेषाधिकार बना रहे, राजनीतिक रोटियां सिंकती रहें और कुछ लोग इनके झांसे में या वाकई अनजाने ही इसे एक समझकर आहत होते रहें।

तो मोटी बात यह है कि ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद एक नहीं हैं, जैसे हिंदू और हिन्दुत्व एक नहीं हैं, जैसे पुरुष और पुरुषवाद एक नहीं हैं। इसलिए ब्राह्मणवाद के ख़िलाफ़ नारे सुनकर किसी को आहत होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुरुषवाद, पितृसत्ता या हिन्दुत्व के ख़िलाफ़ नारे सुनकर किसी पुरुष, पिता या हिंदू को आहत होने की ज़रूरत नहीं है। हां, अगर आप ब्राह्मणवादी हैं, पुरुषवादी हैं, तो ज़रूर आहत हो सकते हैं और आपको आहत ही नहीं, शर्मिंदा भी होना चाहिए।

और यह भी दिलचस्प है कि पितृसत्ता और ब्राह्मणवाद दोनों एक-दूसरे से जुड़े हैं। नाभि-नाल का संबंध है, जैसे आरएसएस और बीजेपी का है। इसलिए अब प्रगतिशील समाजशास्त्री, नारीवादी इस व्यवस्था को केवल ब्राह्मणवाद या पितृसत्ता नहीं कहते, बल्कि ब्राह्मणवादी पितृसत्ता कहते हैं।

ब्राह्मणवाद

समाज विज्ञान के अनुसार ब्राह्मणवाद केवल धार्मिक शब्द नहीं है, बल्कि एक सामाजिक-वैचारिक व्यवस्था को दर्शाता है। इसका अर्थ व्यक्ति विशेष (ब्राह्मण जाति) नहीं, बल्कि एक ऐसी संरचना से है, जो समाज में श्रृंखलाबद्ध असमानता को वैध ठहराती है। ब्राह्मणवाद उस विचार को कहा जाता है, जिसमें समाज को जन्म आधारित श्रेणियों (वर्ण/जाति) में बांटकर ऊंच-नीच को स्वाभाविक और धार्मिक रूप से सही बताया जाता है। इस व्यवस्था में धार्मिक ज्ञान, अनुष्ठान और सामाजिक नियमों पर एक खास वर्ग का नियंत्रण स्थापित होता है, जिससे सामाजिक शक्ति संरक्षित रहती है।

हम जब "ब्राह्मणवाद" शब्द का उपयोग करते हैं, तो उसका मतलब – सत्ता संरचना या वैचारिक वर्चस्व के रूप में होता है। और यही मनुवाद है।

कुल मिलाकर ब्राह्मणवाद सामाजिक असमानता और जाति-आधारित भेदभाव को बनाए रखने वाली धार्मिक-वैचारिक व्यवस्था है। इसका मतलब ब्राह्मण व्यक्ति या समुदाय नहीं होता, बल्कि एक विचारधारा या सामाजिक संरचना होता है। इसलिए कोई गैर-ब्राह्मण भी ब्राह्मणवादी सोच रख सकता है और कोई ब्राह्मण उसका विरोधी हो सकता है।

जैसे यूजीसी विवाद में ब्रह्मणवाद का झंडा लिए ख़ुद को पीड़ित बताने वाली कथित यू-ट्यूबर भी ब्राह्मण है और उनका प्रतिरोध करने वाली छात्र एक्टिविस्ट भी ब्राह्मण हैं। दोनों पक्ष ब्राह्मण समुदाय से हैं, लेकिन फ़र्क़ जानना ज़रूरी है — एक पक्ष ब्राह्मणवादी सोच का समर्थन करता है, जबकि दूसरा न्याय और समानता के पक्ष में खड़ा होकर ब्राह्मणवाद-मनुवाद की संरचना की आलोचना करता है।

यहां 'ब्राह्मणवाद ज़िंदाबाद' के नारे लगाने वाली और ऐसी ही सोच रखने वाली अन्य महिलाओं को यह समझना ज़रूरी है कि जिस ब्राह्मणवादी या मनुवादी व्यवस्था के पक्ष में वे खड़ी हैं, उस व्यवस्था में स्त्रियों को स्वायत्त व्यक्तित्व के रूप में स्थान ही नहीं दिया गया है। आप भले ही ब्राह्मण हों, लेकिन इस संरचना (पितृसत्ता+ब्राह्मणवाद) में स्त्री की स्थिति अंततः पुरुष के अधीन ही निर्धारित की गई है। यानी सामाजिक पदानुक्रम में उसका स्थान उसके पुरुष संबंधों से तय होता है, स्वयं उससे नहीं।

मनुस्मृति में कहा गया है –

पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने। रक्षन्ति स्थाविरे पुत्रा न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति॥

इसका अर्थ है कि बचपन में पिता, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र स्त्री की रक्षा करते हैं ; स्त्री स्वतंत्र रहने योग्य नहीं है।

एक दूसरा श्लोक है–

विषीलः कामवृत्तो वा गुणहीनोऽपि वा पतिः। उपचर्या स्त्रिया साध्व्या सततं देववत्पतिः॥

यानी पति चाहे चरित्रहीन, कामुक या गुणहीन ही क्यों न हो, स्त्री को उसे देवता समान मानकर सेवा करनी चाहिए।

न स्त्री शूद्रो न च वैश्यो वेदमधीयीत कदाचन।

यानी स्त्री, शूद्र और वैश्य — इनको वेद का अध्ययन नहीं करना चाहिए।

मनुस्मृति में ऐसे न जाने कितने श्लोक हैं, जिनमें स्त्रियों को पुरुष के अधीन बताया गया है, शिक्षा से वंचित किया गया है। लेकिन विडंबना है कि आज भी स्त्रियां इस साज़िश को नहीं समझ रहीं और अगर समझ भी रहीं हैं, तो भी वे इसी के पक्ष में, इसी में ख़ुश हैं। इसे ही कंडीशनिंग कहा जाता है। यह तीनों स्तर यानी मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर होती है। और व्यक्ति अपनी जंज़ीरों को भी तमगे की तरह पहन लेता है।

और आज जो सवर्ण जाति के लोग यूजीसी इक्विटी गाइडलाइंस यानी समता अधिनियम पर भड़के हुए हैं, उन्हें समझना चाहिए कि अत्याचार अधिकार नहीं है। समझना चाहिए कि कैसे एक व्यवस्था के तहत कुछ लोगों ने विशेषाधिकार हथिया लिए और कैसे एक बड़े समुदाय विशेष को हाशिये पर धकेल दिया। आपको कोई भ्रम हो, तो मनुस्मृति के यह श्लोक पढ़ लीजिए, आपका भ्रम दूर हो जाएगा।

शूद्र का कर्तव्य — सेवा (मनुस्मृति 1.91) :

एकमेव तु शूद्रस्य प्रभुः कर्म समादिशत्। एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषामनसूयया॥

अर्थ : शूद्र के लिए एक ही कर्म निर्धारित किया गया — अन्य तीन वर्णों की बिना द्वेष सेवा करना।

शूद्र द्वारा वेद सुनने पर दंड (मनुस्मृति 2.281/ 2.282) :

श्रुत्वा तु वेदमधीयानं शूद्रः यदि कदाचन। तस्य कर्णौ पिधायेतां तप्तलोहस्य पूरणात्॥

अर्थ : यदि शूद्र वेद सुन ले, तो उसके कानों में पिघला धातु डालने का दंड बताया गया। (विभिन्न संस्करणों में पाठांतर मिलते हैं, पर आशय यही दिया जाता है।)

शूद्र को धर्म उपदेश देने पर निषेध (मनुस्मृति 4.99) :

न शूद्राय मतिं दद्यान्नोच्छिष्टं न हविष्कृतम्। न चास्योपदिशेद्धर्मं न चास्मै व्रतमादिशेत्॥

अर्थ केवलः शूद्र को बुद्धि (धर्म ज्ञान) न दें, न यज्ञ का अन्न दें, न धर्म का उपदेश दें और न व्रत बताएं।

शूद्र की संपत्ति पर नियंत्रण (मनुस्मृति 8.417) :

ब्राह्मणस्य हि शूद्रोऽयं यद् यद् धनमुपार्जयेत्। तत्तत्ब्राह्मण एव स्यात शूद्रस्य नास्ति स्वं धनम्॥

अर्थ : शूद्र जो भी धन अर्जित करे, वह ब्राह्मण का माना जा सकता है; शूद्र का अपना धन नहीं। (पाठांतर मिलते हैं, पर आशय यही उद्धृत किया जाता है।)

*ब्राह्मण को अपमान करने पर शूद्र का दंड (मनुस्मृति 8.270) :

शूद्रः द्विजातीनां कुर्याद् वाचं दुरुक्तिम्। तस्य जिह्वा छेदनीया॥

अर्थ : यदि शूद्र द्विज को अपशब्द कहे तो उसकी जीभ काटने का दंड बताया गया। (विस्तृत पाठ में भिन्नताएं मिलती हैं)

चांडाल आदि (अवर्ण) की सामाजिक स्थिति (मनुस्मृति 10.51–52) :

चाण्डालश्वपचौ ग्रामाद् बहिर्निवसेताम्। अपपात्रौ च कर्तव्यौ स्वकार्यं च पृथक्स्थितौ॥

अर्थ : चांडाल और श्वपच गांव के बाहर रहें, उनके बर्तन अलग हों और वे समाज से पृथक रहें।

चांडालों के लिए जीवन नियम (मनुस्मृति 10.54–56) :

मृतचेलानि भुञ्जीरन्-भिन्नभाण्डेषु वासिनः। लोहाभरणधारिणः...

अर्थ : उन्हें मृतकों के कपड़े पहनने, टूटे बर्तनों में खाने आदि का जीवन बताया गया।

"दलित" शब्द मनुस्मृति या प्राचीन हिंदू धर्मग्रंथों में नहीं मिलता ; यह आधुनिक सामाजिक-राजनीतिक और आंदोलन से उपजा शब्द है। संविधान में इसके लिए एससी यानी अनुसूचित जाति का प्रयोग किया गया है। इसी तरह आदिवासी के लिए एसटी यानी अनुसूचित जनजाति का प्रयोग किया गया है। मनुस्मृति में जिन समूहों को शूद्र कहा गया है, उन्हें आज सामाजिक आंदोलन और संविधान के तहत पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। इसी तरह मनुस्मृति में जिन समूह का उल्लेख 'चांडाल', 'श्वपच' आदि नामों से किया गया है, उन्हें बाद के सामाजिक विमर्श में दलित श्रेणी से जोड़ा गया। इससे यह साफ़ होता है कि इन समुदायों को शास्त्रीय वर्ण व्यवस्था के चार वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र) के भीतर भी स्थान नहीं दिया गया, बल्कि उन्हें 'अवर्ण' या सामाजिक रूप से बहिष्कृत श्रेणी में रखा गया।

इन सबको हमारे समाज सुधारकों जैसे ज्योतिबा फुले, सावित्री बाई फुले और बाबा साहेब अंबेडकर ने पहचाना और प्रतिरोध किया। दक्षिण भारत में पेरियार, नारायण गुरु आदि समाज सुधारक हुए। इसी समझदारी के तहत बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान में दलित-वंचित वर्ग और स्त्रियों के अधिकारों के संबंध में क़ानून बनाए।

आज मनुस्मृति कौन फॉलो करता है?

अगर आप कहते हैं कि आज मनुस्मृति को कौन मानता है, कौन फॉलो करता है, तो आप धोखे में हैं। और अगर आप नहीं मानते, तो आपको तो यूजीसी गाइडलाइन या किसी भी समता क़ानून से नहीं डरना चाहिए। लेकिन अगर आप फिर भी कहते हैं कि इन क़ानूनों का दुरुपयोग हो सकता है, तो फिर तो इस देश से सभी क़ानूनों को हटाना पड़ेगा, क्योंकि सभी का कहीं न कहीं दुरुपयोग होता है। जबकि आप जानते हैं कि यूजीसी गाइडलाइंस में ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को भी रखा गया है। और आप जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ किसे मिलता है। इसमें कुछ भी ढका-छुपा नहीं है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण सवर्ण वर्ग के लिए ही लाया गया है। इस समता गाइडलाइंस में विकलांग वर्ग भी शामिल है, जिसमें सभी जाति के लोग आते हैं। जेंडर भी है यानी महिला वर्ग है, जिसमें ब्राह्मण महिला भी आती है और दलित भी।

एससी-एसटी के साथ पिछड़ा वर्ग को शामिल करने पर बहुत हल्ला है, लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि दलित, विकलांग या महिलाएं इनके ख़िलाफ़ शिकायत नहीं कर सकतीं। कुल मिलाकर अत्याचार या भेदभाव को बहुत व्यापक बनाया गया है। मांग इसे और स्पष्ट और मज़बूत बनाने की होने चाहिए, जैसा रोहित एक्ट की मांग करने वाले कहते हैं, लेकिन विडंबना है कि लोग इसी का विरोध कर रहे हैं।

और जिन क़ानूनों का हमारी-आपकी आंखों के सामने सत्ता दुरुपयोग कर रही है, जैसे– एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून), यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम), उनका आप विरोध नहीं करते, क्योंकि यह आपकी सत्ता की राजनीति को सूट करता है।

और "अब कोई जात-पात नहीं है", "कोई जाति नहीं देखता", अगर आप ऐसा कहते या सोचते हैं, तो आप अख़बारों के मेट्रिमोनियल पेज यानी वैवाहिक विज्ञापन देख सकते हैं।

अगर आप आज भी दलितों या मुसलमान-ईसाइयों के लिए "हम और वे" (वी एंड दे) शब्द का प्रयोग करते हैं, तो समझ जाइए, यही भेदभाव है, जातिवाद और सांप्रदायिकता है।

गर आप सोचते हैं कि आज दलितों-वंचितों पर कहां अत्याचार हो रहा है – तो एनसीआरबी (राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो) के ताज़ा आंकड़े देख लीजिए। सबसे नवीनतम यानी 2023 के आंकड़ों के अनुसार दलितों पर अत्याचार के 57 हज़ार से अधिक मामले दर्ज हुए, जो पिछले दशकों में सबसे अधिक कहे जा रहे हैं।

अगर आप अख़बार पढ़ते हैं, तो केवल कुछ महीनों की ही ख़बरें या हेडलाइन देख लीजिए, जहां दबंगों ने दलितों को घोड़ी पर चढ़ने से रोक दिया। स्कूल तक में बच्चे को पानी का घड़ा छूने पर पीटा गया, तो कहीं कुर्सी पर बैठने पर मारा गया।

अगर हम 21वीं सदी में, इस डिजिटल युग में, जहां एक क्लिक पर सारी जानकारी उपलब्ध है, इतना भी नहीं जानते-समझते — तो फिर यही कहना पड़ेगा कि या तो हम और आप चालाक जातिवादी हैं या फिर शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गर्दन छिपाकर यह मान लेना चाहते हैं कि समस्या है ही नहीं।

कुछ तो अपनी पढ़ाई में गड़बड़ है सर ! इतना पढ़ के भी ज़ेहनों में जाले हुए!!

(लेखक कवि और वेब पोर्टल 'न्यूज क्लिक' के समाचार संपादक हैं।)

शिक्षण संस्थानों में फूहड़ मनोरंजन : शिक्षा और मर्यादा पर बढ़ता राष्ट्रीय प्रश्न

(डीजे संस्कृति और अशोभनीय प्रस्तुतियों के बीच बच्चों के संस्कार, अनुशासन और शिक्षा के मूल उद्देश्य पर गंभीर चिंता)

-डॉ. प्रियंका सौरभ

विद्यालय किसी भी राष्ट्र की आत्मा का निर्माण करते हैं। यही वे स्थान हैं जहाँ से समाज की दिशा तय होती है और आने वाली पीढ़ियों के विचार, मूल्य तथा व्यवहार गढ़े जाते हैं। एक सभ्य समाज की पहचान उसके विद्यालयों से होती है, क्योंकि यहीं बच्चों को केवल अक्षर ज्ञान ही नहीं, बल्कि अनुशासन, नैतिकता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का बोध कराया जाता है। ऐसे में यदि विद्यालय परिसरों में अशोभनीय गीतों पर नृत्य, फूहड़ मनोरंजन और मर्यादा-विहीन प्रस्तुतियाँ सामने आती हैं, तो यह केवल किसी एक संस्था की चूक नहीं, बल्कि पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर चेतावनी है।

हाल के वर्षों में देश के विभिन्न हिस्सों से ऐसे दृश्य सामने आए हैं, जहाँ विद्यालयों में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान ऐसे गीत और नृत्य प्रस्तुत किए गए, जिनका शिक्षा और संस्कार से कोई संबंध नहीं है। ये घटनाएँ यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम विद्यालयों को भी उसी बाज़ारू संस्कृति के हवाले कर रहे हैं, जिसने मनोरंजन को मर्यादा से ऊपर रख दिया है? क्या बच्चों की मासूम मानसिकता को हम अनजाने में ऐसे प्रभावों के हवाले कर रहे हैं, जिनका दीर्घकालिक असर उनके चरित्र और सोच पर पड़ सकता है?

आज यह सत्य है कि डीजे संस्कृति, सोशल मीडिया और त्वरित लोकप्रियता की दौड़ ने समाज के हर वर्ग को प्रभावित किया है। गीतों और मनोरंजन की भाषा बदली है, प्रस्तुति का स्तर बदला है और 'वायरल' होने की होड़ ने विवेक को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन विद्यालय कोई सार्वजनिक मंच या मनोरंजन स्थल नहीं है। यह वह स्थान है जहाँ बच्चों को यह सिखाया जाना चाहिए कि क्या उचित है और क्या अनुचित, क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। यदि विद्यालय ही इस भेद को मिटाने लगें, तो बच्चों के मन में नैतिक सीमाओं की समझ कैसे विकसित होगी?

इस पूरे प्रश्न का एक पक्ष यह भी है कि कई बार ऐसे कार्यक्रमों में बाहरी डीजे या आयोजनकर्ताओं की भूमिका होती है। संभव है कि किसी विद्यालय में ऐसा संगीत बिना पूर्व योजना के बज गया हो या बच्चों ने उत्साह में कोई अनुचित गीत चुन लिया हो। परंतु ऐसे हर परिदृश्य में सबसे बड़ी जिम्मेदारी विद्यालय प्रशासन और शिक्षकों की होती है। शिक्षक केवल पाठ्यपुस्तक पढ़ाने वाले कर्मचारी नहीं होते; वे आदर्श, अनुशासन और मर्यादा के जीवंत उदाहरण होते हैं। उनकी चुप्पी या लापरवाही बच्चों के लिए मौन स्वीकृति बन जाती है।

विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उद्देश्य बच्चों की रचनात्मकता को सकारात्मक दिशा देना होता है। नृत्य, संगीत और नाटक बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, उनकी प्रतिभा को मंच देते हैं और उन्हें अपनी संस्कृति से जोड़ते हैं। लेकिन जब यही मंच फूहड़ता का माध्यम बन जाए, तो उसका उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। लोकनृत्य, देशभक्ति गीत, शास्त्रीय या सुगम संगीत, प्रेरक नाटक—ये सब न केवल मनोरंजन करते हैं, बल्कि बच्चों को अपनी जड़ों से जोड़ते हैं। इसके विपरीत, अश्लीलता आधारित प्रस्तुतियाँ केवल क्षणिक तालियाँ तो बटोर सकती हैं, पर वे किसी भी तरह से बच्चों के व्यक्तित्व को समृद्ध नहीं करतीं।

यह प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि समाज और अभिभावकों की भूमिका क्या है। आज कई बार अभिभावक भी विद्यालयों से केवल परिणाम और प्रतियोगिता की अपेक्षा रखते हैं, जबकि मूल्य-आधारित शिक्षा पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जाता है। यदि किसी विद्यालय में ऐसी घटनाएँ होती हैं, तो केवल शिक्षकों या प्रशासन को दोषी ठहराना पर्याप्त नहीं। समाज को भी यह तय करना होगा कि वह अपने बच्चों को किस तरह का वातावरण देना चाहता है। क्या हम चाहते हैं कि विद्यालय भी उसी संस्कृति को अपनाएँ, जो टीवी और मोबाइल स्क्रीन पर परोसी जा रही है, या हम उनसे कुछ बेहतर, कुछ अधिक जिम्मेदार अपेक्षा रखते हैं?

दूसरी ओर, यह भी आवश्यक है कि हर घटना पर प्रतिक्रिया संतुलित हो। किसी एक चूक के आधार पर पूरे शिक्षक समुदाय को कठघरे में खड़ा करना या कठोर दंड की माँग करना समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। शिक्षक भी इंसान हैं और उनसे भी भूल हो सकती है। यदि कोई घटना पहली बार हुई है और उसमें दुर्भावना नहीं थी, तो सुधारात्मक चेतावनी, स्पष्ट दिशा-निर्देश और संवेदनशील प्रशिक्षण अधिक प्रभावी हो सकता है। लेकिन यदि ऐसी गतिविधियाँ बार-बार हों, या जानबूझकर मर्यादा को तोड़ा जाए, तो सख्त कार्रवाई भी उतनी ही आवश्यक है, ताकि अनुशासन की मर्यादा बनी रहे।

आज आवश्यकता इस बात की है कि पूरे देश में विद्यालयों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए स्पष्ट और एकरूप दिशा-निर्देश हों। ये दिशा-निर्देश केवल कागज़ों तक सीमित न रहें, बल्कि उनका ईमानदारी से पालन हो। कार्यक्रमों की पूर्व स्वीकृति, गीतों और प्रस्तुतियों की समीक्षा, वेशभूषा की मर्यादा और मंच संचालन की जिम्मेदारी—इन सभी बिंदुओं पर स्पष्ट नियम होने चाहिए। साथ ही शिक्षकों के लिए नियमित प्रशिक्षण भी आवश्यक है, ताकि वे बदलते सामाजिक प्रभावों को समझते हुए बच्चों को सही मार्गदर्शन दे सकें।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि नैतिकता और संस्कृति का अर्थ कठोरता या रचनात्मकता का दमन नहीं है। बच्चों को आधुनिकता से काटना समाधान नहीं, बल्कि उन्हें विवेक के साथ आधुनिकता को अपनाना सिखाना अधिक आवश्यक है। विद्यालयों को ऐसा वातावरण बनाना चाहिए, जहाँ बच्चे खुलकर अपनी प्रतिभा दिखा सकें, पर साथ ही यह भी समझें कि हर मंच की अपनी मर्यादा होती है। स्वतंत्रता और अनुशासन का संतुलन ही स्वस्थ शिक्षा व्यवस्था की पहचान है।

यदि हम व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें, तो यह मुद्दा केवल विद्यालयों तक सीमित नहीं है। यह उस सामाजिक दिशा का प्रतिबिंब है, जिसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। जब समाज में फूहड़ता सामान्य होती जाती है, तो उसका असर संस्थानों पर भी पड़ता है। इसलिए इस समस्या का समाधान केवल नियमों से नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना से भी जुड़ा है। मीडिया, मनोरंजन उद्योग और डिजिटल प्लेटफॉर्म—सभी की जिम्मेदारी बनती है कि वे बच्चों और युवाओं के लिए जिम्मेदार सामग्री प्रस्तुत करें।

भारत जैसे विविधता और सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध देश में विद्यालयों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था केवल रोजगार सृजन का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक एकता, सांस्कृतिक निरंतरता और लोकतांत्रिक मूल्यों की वाहक है। यदि विद्यालयों में ही मर्यादा और संस्कार कमजोर पड़ने लगें, तो इसका असर केवल कुछ कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि धीरे-धीरे समाज के ताने-बाने को भी प्रभावित करेगा।

अंततः, यह आवश्यक है कि हम इस विषय को न तो अतिशयोक्ति में बदलें और न ही हल्के में लें। यह समय आत्ममंथन का है—शिक्षकों के लिए, प्रशासन के लिए, अभिभावकों के लिए और समाज के लिए। विद्यालयों को फिर से उस स्थान के रूप में स्थापित करना होगा, जहाँ ज्ञान के साथ-साथ संस्कार भी दिए जाते हैं। जहाँ मनोरंजन हो, पर मर्यादा के साथ; जहाँ स्वतंत्रता हो, पर जिम्मेदारी के साथ।

विद्यालय वास्तव में मंदिर हैं—ऐसे मंदिर जहाँ भविष्य की पीढ़ियाँ गढ़ी जाती हैं। इन मंदिरों की गरिमा बनाए रखना किसी एक वर्ग की नहीं, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। यदि हम यह जिम्मेदारी ईमानदारी से निभा पाए, तभी हम आने वाली पीढ़ियों को एक संतुलित, संस्कारी और जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित कर सकेंगे।

(डॉ. प्रियंका सौरभ, पीएचडी (राजनीति विज्ञान), कवयित्री एवं सामाजिक चिंतक हैं।)

भारत में मेलानोमा

भारत की धूप से आलोकित धरती—जहाँ बहुरंगी संस्कृतियाँ तीव्र आधुनिकीकरण के साथ गुंथी हुई हैं—आज एक बढ़ती हुई छाया से घिरती जा रही हैः मेलानोमा, त्वचा कैंसर का सबसे घातक रूप।

यह कपटी रोग, जो कभी मेलेनिन-समृद्ध त्वचा वाले देश में विरल माना जाता था—जहाँ प्राकृतिक वर्णक पराबैंगनी (UV) किरणों से सुरक्षा प्रदान करता है—अब तेजी से उभर रहा है। बढ़ते मामलों के साथ यह हमसे गंभीर आत्ममंथन की माँग करता है। पर्यावरणीय क्षरण, जीवनशैली में परिवर्तन और अनियंत्रित शहरी विस्तार के संगम ने इस संकट को तीव्र किया है। विकास की हमारी अंधी दौड़—अक्सर हरित आच्छादन की कीमत पर—मानो विनाश के बीज बो रही है।

आइए इस ज्वलंत विषय को स्पष्टता और गहनता के साथ समझें, और साथ ही उन नवीन प्रगतियों पर भी प्रकाश डालें जो इस अंधकार में आशा की किरण बनकर उभरी हैं।

मेलानोमा क्या है?

मेलानोमा त्वचा की एपिडर्मिस में स्थित वर्णक-उत्पादक कोशिकाओं—मेलानोसाइट्स—के घातक रूपांतरण से उत्पन्न होता है। बेसल सेल और स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा की अपेक्षा यह कहीं अधिक आक्रामक है, क्योंकि इसमें दूरस्थ अंगों तक फैलने (मेटास्टेसिस) की तीव्र प्रवृत्ति होती है।

भारत में ऐतिहासिक रूप से गहरी त्वचा रंगत ने UV विकिरण के विरुद्ध एक प्राकृतिक कवच प्रदान किया, जिससे मेलानोमा का जोखिम अपेक्षाकृत कम था। किंतु अब यह परिदृश्य बदल रहा है।

भारत में स्थितिः

आँकड़ों की भाषा

Global Cancer Observatory (GLOBOCAN) 2020 के अनुसार, भारत में लगभग 3,916 नए मेलानोमा मामले दर्ज किए गए, जो कुल कैंसर भार का लगभग 0.3% है। यह प्रतिशत छोटा प्रतीत हो सकता है, किंतु क्षेत्रीय असमानताओं और बढ़ती प्रवृत्ति को छिपा देता है।

आयु-समायोजित घटना दर (AAR) प्रति 100,000 जनसंख्या लगभग 0.16 है, परंतु उत्तर और उत्तर-पूर्वी भारत में यह दर अधिक पाई गई है—जहाँ पर्यावरणीय परिस्थितियाँ और आर्सेनिक संदूषण जैसे कारक अतिरिक्त जोखिम उत्पन्न करते हैं।

National Cancer Registry Programme, जो Indian Council of Medical Research (ICMR) के अंतर्गत कार्य करता है, के अनुमानों के अनुसार 2025 तक भारत में कुल कैंसर मामलों की संख्या 14.6 लाख तक पहुँच सकती है, और 2026 तक यह 15 लाख वार्षिक मामलों को पार कर सकती है। मेलानोमा भी इस बढ़ती प्रवृत्ति का एक हिस्सा है।

प्रमुख कारणः सूर्य, पर्यावरण और वृक्ष-विनाश

इस वृद्धि के केंद्र में है पराबैंगनी विकिरण (UV radiation)—सूर्य का अदृश्य आक्रमणकारी, जो त्वचा की कोशिकाओं के DNA को क्षति पहुँचाकर उत्परिवर्तन उत्पन्न करता है।

भारत की उष्णकटिबंधीय स्थिति वर्षभर तीव्र UV संपर्क सुनिश्चित करती है। ओज़ोन परत में कमी और जलवायु परिवर्तन से बढ़ते तापमान (इस सदी में 0.9–3.5C वृद्धि का अनुमान) UV के कैंसरकारी प्रभाव को और प्रबल करते हैं—प्रत्येक 1C वृद्धि के साथ UV प्रभाव लगभग 2% तक बढ़ सकता है।

वृक्षों की कटाईः

अदृश्य संकट

विकास के नाम पर व्यापक वनों की कटाई ने प्राकृतिक छाया को कम कर दिया है। वृक्ष अपनी घनी छत्रछाया के माध्यम से आने वाले सौर विकिरण का 90% तक अवशोषित या परावर्तित कर सकते हैं।

Delhi और Mumbai जैसे महानगरों में हरित आवरण में कमी ने "अर्बन हीट आइलैंड" प्रभाव को बढ़ाया है, जिससे ज़मीनी स्तर पर UV का प्रभाव तीव्र हो गया है।

पूर्वी और उत्तर-पूर्वी राज्यों में भूजल में आर्सेनिक संदूषण UV के साथ मिलकर त्वचा की प्रतिरोधक क्षमता को और कमजोर करता है, जिससे संवेदनशील आबादी में मेलानोमा का खतरा बढ़ सकता है।

इस प्रकार, वृक्षों की कटाई केवल पारिस्थितिकी का प्रश्न नहीं है—यह सार्वजनिक स्वास्थ्य का भी प्रश्न है।

जीवनशैली में परिवर्तन

शहरीकरण ने लोगों को अधिक समय खुले में बिताने के लिए प्रेरित किया है, परंतु पर्याप्त सन-प्रोटेक्शन के बिना।

त्वचा को गोरा बनाने की प्रवृत्ति में प्रयुक्त ब्लीचिंग एजेंट्स एपिडर्मिस को पतला कर सकते हैं, जिससे UV के प्रति संवेदनशीलता बढ़ती है।

परिणामः देर से पहचान, अधिक मृत्यु

मेलानोमा अक्सर अनियमित तिल, रंग परिवर्तन या न भरने वाले घाव के रूप में प्रकट होता है। देर से निदान के कारण उन्नत अवस्था में पाँच-वर्षीय जीवित रहने की दर 50% से कम हो सकती है।

भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की असमान उपलब्धता के कारण मृत्यु-दर बढ़ जाती है। अनुमानतः प्रतिवर्ष लगभग 2,197 मृत्यु मेलानोमा से संबंधित हो सकती हैं।

आशा की किरणः आधुनिक उपचार और अनुसंधान

इम्यूनोथेरेपी का उदय

Pembrolizumab (PD-1 अवरोधक) ने उन्नत मेलानोमा में प्रभावशाली परिणाम दिए हैं।

Ipilimumab और Nivolumab के संयोजन ने लगभग 49% प्रतिक्रिया दर प्रदर्शित की है।

नैनोप्रौद्योगिकी

टॉपिकल नैनोपार्टिकल आधारित उपचार दवाओं को सीधे त्वचा ट्यूमर तक पहुँचाते हैं, जिससे दुष्प्रभाव कम होते हैं और प्रभावशीलता बढ़ती है।

लक्षित चिकित्सा

BRAF जैसे जीन उत्परिवर्तन की पहचान कर लक्षित दवाओं का उपयोग संभव हुआ है।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

International Congress of the Society for Melanoma Research जैसे वैश्विक मंच अनुसंधान और सहयोग को नई दिशा प्रदान कर रहे हैं।

निष्कर्षः

विकास और पर्यावरण में संतुलन

भारत में मेलानोमा की बढ़ती लहर हमें चेतावनी देती है कि विकास और पर्यावरण-संतुलन को साथ लेकर चलना अनिवार्य है।

हमें चाहिए—

* वृक्षारोपण और हरित आवरण की पुनर्स्थापना
* सूर्य-सुरक्षा व्यवहार (सनस्क्रीन, टोपी, पूर्ण आस्तीन वस्त्र)
* नियमित त्वचा-जाँच और शीघ्र निदान
* **अत्याधुनिक उपचारों की सुलभ उपलब्धता**

यदि हम पर्यावरणीय संरक्षण को अपनी प्रगति का अंग बना लें, तो भारत का भविष्य केवल महत्वाकांक्षा से ही नहीं, बल्कि स्थायी स्वास्थ्य और जीवनशक्ति से भी आलोकित होगा।

भाखड़ा ब्यास इंप्लाइज यूनियन (एटक ऐफी) शाखा दिल्ली के चुनाव करवाए

संगरूर, 20 फरवरी (जगसीर लोगोंवाल)– श्री सुरेश कुमार सैनी महासचिव ने प्रेस बयान में बताया के आज भाखड़ा ब्यास इंप्लाइज यूनियन (एटक ऐफी)

शाखा दिल्ली के चुनाव बी बी एम बी 220 के वी दिल्ली उपकेंद्र पर युनियन की केंद्रीय कार्यकारणी के प्रधान श्री अशोक कुमार शर्मा की अध्यक्षता में, कांमरेड मोहन लाल वर्मा कानूनी सलाह कार एवं पंजाब राज्य ए आई टी यु सी सचिव व श्री हरि सिंह वरिष्ठ उपप्रधान व श्री नवदीप सिंह संयुक्त सचिव व श्री जरनैल सिंह शाखा नंगल प्रधान की देखरेख में सर्व सम्मति से हुए इस समय शाखा नरेला से प्रधान श्री अमित कुमार, सचिव श्री योगेश पाल, उप प्रधान श्री प्रदीप कुमार, व श्री नरेश कुमार राठी, पानीपत से प्रधान श्री सत्यनारायण शर्मा, सचिव श्री जितेश कुमार, कुरुक्षेत्र से प्रधान श्री कुलदीप सिंह, सचिव श्री दीपक सोलंकी, शाखा संगरुर पटियाला बरनाला से प्रधान श्री तिजेन्द्र पाल सिंह, जगाधरी से अध्यक्ष श्री रामनाथ, नंगल से संयुक्त सचिव श्री गुरनाम सिंह।

बल्लभगढ़ से साथी सबुवा, दिल्ली से साथी लियाकत अली जी उपस्थित रहे। युनियन शाखा दिल्ली के चुनाव बहुत ही दिलचस्प और सहरानिय और बिना किसी भेदभाव व बिना दबाव के हुए।

चुनाव में नवनिर्वाचित सदस्य श्री संदीप नरवाल, प्रधान, बी बी एम बी 220 के वी, टी एल दिल्ली, श्री समेशर सिंह यादव, सचिव, बी बी एम बी 220 दिल्ली, श्री मंदीप सिंह, व. उपप्रधान, बी बी एम बी दिल्ली, .श्री विक्रांत सिंह, कोषाध्यक्ष, बी बी एम बी दिल्ली, श्री आकाश, उप सचिव, बी बी एम बी दिल्ली, श्री धर्मबीर सिंह, उप प्रधान, बी बी एम बी दिल्ली, जसबीर सिंह, उप प्रधान, बी बी एम बी दिल्ली श्री नरेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव, बी बी एम बी दिल्ली, श्री संतोष कुमार, प्रचार सचिव, बी बी एम बी दिल्ली, राजीव सिंघल, कार्यकारी सदस्य, बी बी एम बी दिल्ली, शिव पाल, कार्यकारी सदस्य, बी बी एम बी दिल्ली सर्व सम्मति से चुने गए।

ऑल ओडिशा ठेकेदार महासंघ के बैनर तले राउरकेला टीम का सशक्त प्रदर्शन

परिवहन विशेष न्यूज

राउरकेला / भुवनेश्वर : ऑल ओड़िशा ठेकेदार संगठित महासंघ के तत्वावधान में राउरकेला सहित राज्यभर के ठेकेदारों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर राजधानी भुवनेश्वर में व्यापक और संगठित प्रदर्शन किया। उड़ीसा के विभिन्न जिलों सहित राउरकेला से दर्जनों की संख्या के साथ राज्य भर से हजारों की संख्या में पहुंचे ठेकेदारों ने शांतिपूर्ण रैली निकालते हुए सरकार तक अपनी आवाज़ बुलंद की। इस आंदोलन में राउरकेला की टीम ने भीबढ़ चढ़कर सक्रिय भागीदारी निभाई और एकजुटता का प्रभावशाली संदेश दिया।

रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस और समयबद्ध सुनवाई नहीं होती, तब तक वे कार्य बहिष्कार जारी रखेंगे। राउरकेला सरकारी ठेकेदार संघ के प्रतिनिधियों ने कहा कि यह आंदोलन किसी टकराव के लिए नहीं, बल्कि अधिकारों और पारदर्शिता की मांग के लिए है। उन्होंने चेतावनी भी दी कि यदि समय रहते समाधान नहीं निकला, तो इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिल सकते हैं।

आगामी पंचायत और नगर निकाय चुनावों का उल्लेख करते हुए ठेकेदारों ने संकेत दिया कि उनकी संगठनात्मक शक्ति और व्यापक संरचना को नजरअंदाज करना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। उनका कहना था कि विकास कार्यों की रीढ़ माने जाने वाले ठेकेदारों की उपेक्षा राज्य की प्रगति को प्रभावित कर सकती है।

यह आंदोलन फिलहाल शांतिपूर्ण है, परंतु इसके स्वर में दृढ़ता और संकल्प स्पष्ट झलकता है। अब सबकी निगाहें सरकार की प्रतिक्रिया पर टिकी हैं। आने वाला समय ही तय करेगा कि यह जनसमूह की पुकार कितनी प्रभावी सिद्ध होती है, और संवाद से समाधान निकलता है या संघर्ष की राह लंबी होती है।

दूरभाष : 9910234578
9312170612

सर्व धर्म मित्र मंडल (रजि.)
ॐ ☪ ✝
(दिल्ली राज्य)
कार्यालय: सी–15 ए, डी.डी.ए. फ्लैट्स, शिवाजी एन्कलेव, रघुबीर नगर, नई दिल्ली – 110027

टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत) द्वारा -
आयोजित एवम् वैष्णवी फाउंडेशन
के सौजन्य से -

"पूर्णता निःशुल्क, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं, स्वास्थ्य जाँच शिविर
आपकी तंदुरुस्ती हमारा ध्येय,

टोलवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित पूर्णतः निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर
* आंखों की जांच * रक्तचाप * मधुमेह जांच * मोतियाबिंद सर्जरी के साथ-साथ
* भारतीय लेंस की सुविधा

इस जांच शिविर मे पूरी तरह से निःशुल्क प्रदान की जाएगी।
इस जांच शिविर में निम्नलिखित अनुभवी एवं विशेषज्ञ डॉक्टर्स एवम् अन्य की निगरानी में जांच,
1. डॉ मनोज कुमार दुबे 2. रिशु भारद्वाज 3. विकास राय

जांच शिविर
दिनांक: 1 मार्च (रविवार) 2026
स्थान: गुरुद्वारा सिंह सभा, शहीद भगत सिंह कॉलोनी, शिवाजी एन्क्लेव, दिल्ली ।।0027
समय: 10:00 AM to 02:00 PM

आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधारें तथा अपने सगे-संबंधियों और मित्रों को भी साथ लेकर आएँ और इस अवसर का लाभ उठाएँ।

विशेष जानकारी: मोतियाबिंद सर्जरी के साथ-साथ भारतीय लेंस की सुविधा के लिए मरीज को अपने खर्चे पर
* बालाजी हॉस्पिटल
* लायन्स हॉस्पिटल
पहुंचना पड़ेगा, पर सर्जरी और भारतीय लेंस निशुल्क रहेगा।

स्वस्थ रहें, जागरूक रहें। आपकी सेहत – हमारी प्राथमिकता।

निवेदक
संजय कुमार बाठला चेयरमेन, राष्ट्रीय अध्यक्ष , पिंकी कुंडू महासचिव, केके छाबड़ा उपाध्यक्ष,
सुनीता शर्मा सचिव, अभिषेक राजपूत सचिव

Chairman: Prabhu Dyal (Ex. ACP, Delhi Police)
President: K. K. Chhabra
Vice President: Pritpal Cingh, Kuldeep Sinath
Gen. Secretary: S. Manohar Singh
Secretary: Gouri Shankar, Ritu Verma, Kanchan Kashap, Reji John
Joint Secretary: Pt Ram Avtar, Sachin Verma
Cashier: Ved Parkash
Legal Advisor: Rajinder Verma
Press Secretary: V. K. Chaturvedi, Vinod Negi

जामताड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 8 साइबर अपराधी गिरफ्तार

20 मोबाइल–17 सिम बरामद
₹2,80,494 .54 की ठगी की पुष्टि, 20 मोबाइल व 17 सिम कार्ड बरामद

पिंकी कुंडू

झारखंड के साइबर हॉटस्पॉट जाने वाले जामताड़ा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर साइबर अपराध थाना की टीम ने दो अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर 8 साइबर अपराधियों को रंगेहाथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 20 मोबाइल फोन और 17 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं।

कैसे हुई कार्रवाई? पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पु०नि०-सह-थाना प्रभारी राजेश मंडल के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने:

* नारायणपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बिक्रामडीह के पास
* करमाटांड़ थाना क्षेत्र के ग्राम नीच काजरा में

छापेमारी कर साइबर ठगी को अंजाम दे रहे अपराधियों को धर दबोचा।

गिरफ्तार आरोपी कुल 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें जामताड़ा और गिरिडीह जिले के युवक शामिल हैं। कई आरोपी पहले भी साइबर ठगी के मामलों में

आरोप पत्रित रह चुके हैं।

बरामद सामान 20 मोबाइल फोन, 17 सिम कार्ड

ऐसे करते थे साइबर ठगी पुलिस जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आरोपी अलग-अलग तरीकों से लोगों को ठग रहे थे:

1. फर्जी क्रेडिट कार्ड ठगी गूगल पर "TATA CARD" सर्च कर लॉगिन करते और 10 अंकों का नंबर डालकर वैध क्रेडिट कार्ड नंबर हासिल कर ई-वॉलेट के जरिए ठगी करते।

2. बिजली विभाग बनकर ठगी बिजली बिल जमा नहीं करने और लाइन काटने की धमकी वाला मैसेज भेजकर खुद को अधिकारी बताकर पैसे ऐंठते थे।

3. कैशबैक स्कैम फोन पे पर 2000 रुपये कैशबैक का मैसेज भेजकर "Accept" करवाते और फिर पीड़ित के खाते से रकम ट्रांसफर कर गिफ्ट कार्ड खरीदकर कमीशन पर बेच देते।

पहले से आपराधिक इतिहास गिरफ्तार चार आरोपियों पर पहले भी साइबर अपराध के मामले दर्ज हैं। इनमें 2018, 2019, 2021 और 2024 के केस शामिल हैं।

देशभर में फैला था जाल, पुलिस के अनुसार:

1. दिल्ली के एक पीड़ित से ₹1,19,036.45 की ठगी
2. दिल्ली के ही दूसरे पीड़ित से ₹1,49,387.29 की ठगी
3. महाराष्ट्र की एक महिला से ₹12,070.80 की ठगी

इन सभी मामलों में आरोपियों की संलिप्तता सामने आई है।

दर्ज हुआ मामला इस संबंध में साइबर अपराध थाना, जामताड़ा में कांड संख्या 10/26 एवं 11/26 दर्ज किया गया है। आरोपियों पर बीएनएस 2023, आईटी एक्ट और टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है।

टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत की अपील अगर आपको भी बिजली बिल, कैशबैक या क्रेडिट कार्ड से जुड़ा कोई संदिग्ध मैसेज मिले तो तुरंत सतर्क रहें और साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं।

जामताड़ा पुलिस की इस कार्रवाई से साइबर अपराधियों में हड़कंप मच गया है।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे के मुख्य आतिथ्य में संगम विश्वविद्यालय का बारहवां दीक्षांत समारोह आयोजित

वर्तमान समय में बौद्धिक क्षमता व गुणवत्ता युक्त शिक्षा की अहम भूमिका – राज्यपाल हरिभाऊ बागडे।।

31 पी एच डी,30 स्वर्ण पदक सहित कुल 685 छात्र छात्राओं को डिग्री उपाधि प्रदान की गई।।

अनूप कुमार शर्मा परिवार विशेष

भीलवाड़ा,संगम विश्वविद्यालय, ने बारहवां दीक्षांत समारोह 20 फरवरी 2026 को माननीय राज्यपाल राजस्थान हरिभाऊ बागडे के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। जनसंपर्क अधिकारी डॉ राजकुमार जैन ने बताया कि 12 वे दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि वर्तमान समय में बौद्धिक क्षमता व गुणवत्ता युक्त शिक्षा की अहम भूमिका है। यह मानवीय व्यवहार व आचरण को बेहतर बनाने में अमूल्य साबित होगी। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा के केंद्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार एवं सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्रों में उत्कृष्टता के मानक स्थापित करें। राज्यपाल श्री बागडे ने कहा कि ज्ञान, कौशल एवं चरित्र ये तीनों तत्व किसी भी राष्ट्र की प्रगति के आधार स्तंभ हैं। युवा शक्ति को इन मूल्यों के साथ आगे बढ़ते हुए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने सभी को छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन मूल्यों पर चलने का संदेश दिया।राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान में देश ने आत्मनिर्भर बनने के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। देश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, वर्तमान में बड़े सैन्य उपकरण, भारी मशीनरी इत्यादि का निर्माण देश में ही हो रहा है।राज्यपाल ने उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दीक्षांत समारोह शैक्षणिक उपलब्धि का महत्वपूर्ण पड़ाव है, जो विद्यार्थियों को जीवन के नए अध्याय में प्रवेश का अवसर प्रदान करता है।इस भव्य दीक्षांत समारोह में अध्यक्षता रामपाल सोनी,चेयरमैन संगम समूह,विशिष्ट अतिथि दामोदर अग्रवाल सांसद भीलवाड़ा, विशिष्ट अतिथि प्रो पी के सिंह पूर्व निदेशक आईआईएम त्रिचि,प्रोफेसर आईआईएम इंदौर उपस्थित रहें।परीक्षा नियंत्रक प्रो राकेश भंडारी ने

बताया कि समारोह के दौरान शैक्षणिक सत्र 2024-25 के बीटेक 36, एमसीए 17, बीएससी 5, एमएससी 86, बीलिस 39, एम लिस11, बी ए 38, एमए/एमएसडब्ल्यू 31, एमबीए फायर सेफ्टी 1, एलएलएम 21, एलएलबी

46, बीए एलएलबी/बीबीए एलएलबी 22, एमबीए 40, बीबीए रिटेल 8, बीबीए 63, बीकॉम 19, बी वॉक 6, बीसीए 57, बीएससी फायर सेफ्टी 5, बी फार्मा 42, बीएससी होनर्स कृषि एवं एबीएम 42, एमटेक 19, पी एच डी 31 सहित कुल 685 डिग्री उपाधि प्रदान की गई। समारोह के शुभारंभ पर शैक्षणिक शोभायात्रा निकाली गई। शुभारम्भ के अवसर पर दीप प्रज्ज्वलन , राष्ट्रगान ,राष्ट्रगीत हुआ। इस अवसर पर एनसीसी कैडेट्स द्वारा राज्यपाल बागड़े को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। विशिष्ठ अतिथि आईआईएम इंदौर के प्रोफेसर पीके सिंह ने कहा के आज के समय में भाषाई दक्षता को मजबूत करना आवश्यक है। वर्तमान युग में तकनीक तीव्र गति से बदल रही है। कार्यक्रम अध्यक्ष एवं संगम समूह के चेयरमैन रामपाल सोनी ने स्वागत उद्बोधन देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को कौशल आधारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विश्वविद्यालय का ध्येय है कि हर विद्यार्थी को व्यवहारिक ज्ञान व नवाचार के अवसर प्राप्त हो। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को छात्रवृति प्रदान की जाती है।विशिष्ठ अतिथि सांसद दामोदर अग्रवाल ने संबोधित करते हुए कहा कि आज के समय में स्वयं की जड़ों को मजबूत रखना जरूरी है। जीवन मूल्यों, परंपराओं को साथ लेकर चले। विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट प्रो करुणेश सक्सेना ने अपने संबोधन में विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तथा छात्र छात्राओं की उपलब्धि,प्लेसमेंट आदि को बताया।रजिस्ट्रार डॉ.आलोक कुमार ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया तथा कार्यक्रम के सफल आयोजन की बधाई दी।इस अवसर पर राज्यपाल श्री बागड़े के द्वारा संगम आई टी बी आई के नए भवन का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया।कार्यक्रम में संगम ग्रुप के वाइस चेयरमैन डॉ एस एन मोदानी, मैनेजिंग डायरेक्टर अनुराग सोनी,एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर वीके सोडाणी,पूर्व सांसद सुभाष बहेडिया, प्रशांत मेवाड़ा,प्रो वीसी प्रो मानस रंजन पाणिग्रही, कई उद्योगपति,विश्वविद्यालय के बोर्ड सदस्य, फैकल्टी स्टाफ, अभिभावक एवं विश्वविद्यालय के विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

राजनीति इतनी भी कलुषित न हो कि किसी राज्य के ऐतिहासिक धरोहर को मिटा दिया जाय

राजनीति इतनी भी कलुषित न हो कि किसी राज्य के ऐतिहासिक धरोहर को मिटा दिया जाय
सरायकेला ऐतिहासिक सेक्रेटेरिएट को ढहा दिया जाना, उच्चस्तरीय जांच का मामला।

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड - झारखंड

रांची, एक मजबूत ऐतिहासिक धरोहर जिसे 80 वर्ष पुर्व विश्व की सबसे बड़ी एक तिहाई यानी 3.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर के दायरे में हर महाद्वीप मे साम्राज्य फैलाकर राज करने वाली उस गोरी सरकार की बंकिंघम पैलेस तथा वेस्टमिंस्टर महल के शासकीय इकाई को भी पता था कि यहां उनकी साम्राज्ञी की साम्राज्य नहीं वल्कि एक ओडिया रियासती शासन व्यवस्था चलता है ।

उसका नाम THE SERAIKELLA STATE ,जो उत्तर ओडिशा में पड़ता था तब । उसके राज्य के शासन चलाने हेतु आला अधिकारी तब यहीं बैठते थे इसी महलनुमा विल्डिंग पर । महाराजा का दरबार हाल अन्दर था तो सचिवालय बाहर । पर इसे बड़े ही षड्यंत्रकारी तरीके से ढहा दिया गया ।

जिसे तोडा गया सरायकेला स्टेट सचिवालय रहा , उसे एक ऐतिहासिक धरोहर के रुप विकसित करते हुए उसकी बीस इंच की मोटी दीवार के ऊपर केवल छत दे देने पर पुनः सैकड़ों वर्ष उक्त प्राचीन आर्किटेक्चर युक्त महल रूपी धरोहर को बचाया जा सकता था । जहां 1948से 90 के दशक तक अनुमंडल कार्यालय चला । फिर चला सरायकेला उपायुक्त बंदना डाडेल, धीरेन्द्र मिश्रा, आगापित सोरेन का उपायुक्त कालीन कार्यालय । अगर उस समय तक महल ठीक ठाक था तो उसे तोड़वाया किसने ? अभिप्राय क्या रहा बड़ा ही पेचिदा सवाल उभरकर सामने आता है । कितनी मस्कत करनी पड़ी , कितने धरने प्रदर्शन जनता की आई वास हेतु किये गये ओडिया जनमानस का एक महत्वपूर्ण संजोकर रखे गये धरोहर को ढहाने हेतु ।

इस महत्वपूर्ण सेक्रेटेरिएट का आप आज भी मजबूती का आकलन लगा सकते हैं । आडंम्बरविहीन यानी मितव्ययिता में चलरही मौजूदा केन्द्र व राज्य सरकारों को स्वतः संज्ञान लेनी चाहिए आखिर माजरा क्या रहा इसे तोड़ने में । । Abandoned पश्चात Destroy घोषित करने वाली विभाग के अभियंता व नेताओं की कारगुजारियां । अधिकारियों की मनसा व ज्ञान को परखना लाजमी है गृह व कार्मिक विभाग को । कारण यह ऐतिहासिक महल जो रहा ।

इतना ही नहीं इससे कला नगरी सरायकेला में पर्यटन का विकास की अकूत संभावना को बरकरार रखा जा सकता था , ठीक उसके विपरित उसे तोड़ दिया गया । किसी राज परिवार के पूर्वजों की माटी, इज्जत जो वैश्विक धरोहर भी रहा उसे सम्मान चाहिए या मिटान ।यह षड्यंत्रकारी कदम किसकी, और क्यों ??

नया विल्डिंग तो बना उसेमे कितने को कितनी कमीशन हासिल हुई वह छोटा सा मामला । बात यह नहीं वल्कि यहां सरकारी ट्रेज़री था । जरा सोचिए वह एक प्रिन्सली स्टेट का राजकीय ट्रेज़री । कहते हैं बहुत कुछ था उसके अंदर । दस्तावेज भी , अनेक जप्त सामान भी। । सरायकेला विलय पश्चात जो रखें गये थे वह गृहमंत्रालय का अमानत था । सरायकेला राजा का राज्य जिसका विधिवत विलय भारतीय अधिराज्य मे जाकर हुआ था । फिर ओडिशा का राजस्व जिला बना यह देशीय राज्य सरायकेला । षड्यंत्र के तहत बिहार ले जाकर उसे रखा गया था ।इन सबों ने इस ऐतिहासिक राजकीय ट्रेज़री को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं की फिर झारखंड के हवाले जैसे किया गया उसे कुछ वर्ष बाद इसे तोड दिया गया । क्या इस पर केंद्र की अनुमति ली गयी थी ।जो सामान थे और जो मिले हैं केंद्र के सूचि के साथ राज्य ने मिलान किया ।बड़ा सवाल केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच का । सरायकेला का सेक्रेटेरिएट तोड़ा जाना।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023